केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतु

टी बोर्ड भारत

65 वीं रिपोर्ट 2018-19

14, बी.टी. एम. सरणी

कोलकाता – 700 001

मुद्रक :
ध्रुव ग्राफिक्स
करोल बाग, नई दिल्ली
मो. : 8800749289, 9891296481

विषय-सूची

65वीं वार्षिक रिपोर्ट, टी बोर्ड : 2018-19

अध्याय सं.	विषय	पृष्ठ सं.
अध्याय-1	संगठानात्मक ढांचा एवं कार्य	1-15
अध्याय-2	वैश्विक परिदृश्य में भारतीय चाय	16-18
अध्याय-3	वित्त	19-22
अध्याय-4	चाय विकास	23-43
अध्याय-5	चाय अनुसंधान	44-49
अध्याय-6	चाय संवर्धन	50-71
अध्याय-7	अनुज्ञापन	72-77
अध्याय-8	सांख्यिकी	78-80
अध्याय-9	मानव संसाधन विकास	81-86
अध्याय-10	हिन्दी कक्ष	87-89
अध्याय-11	सतर्कता प्रकोष्ठ	90
अध्याय-12	विधि प्रकोष्ठ व सूचना का अधिकार	91

अध्याय -1

स्थापना

संगठनात्मक ढांचा एवं कार्य

बोर्ड का गठन

चाय अधिनियम 1953 के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुरुप टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 में की गई थी । टी बोर्ड को भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास का कार्य प्रभारित किया गया है और यह केन्द्र सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है ।

बोर्ड का संगठन

बोर्ड का गठन अध्यक्ष एवं भारत सरकार द्वारा नियुक्त चाय उद्योग के विभिन्न विभागों से संबन्धित 31 सदस्यों से हुआ है। प्रत्येक तीन वर्ष में बोर्ड का पुर्नगठन होता है।
दिनांक 11 फरवरी, 2019 एवं 9 मार्च 2019 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान बोर्ड का पुर्नगठन तीन वर्ष की अवधि हेतु किया गया है ।

टी बोर्ड का कार्य

चाय अधिनियम की धारा 10 के तहत वर्णित टी बोर्ड के कार्य व्यापक है एवं संक्षिप्त रुप से इस प्रकार प्रस्तुत है :

1. चाय बागानों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना ।
2. चाय की गुणवत्ता में सुधार ।
3. लघु चाय कृषकों में सहकारिता प्रयासों का संवर्धन ।
4. चाय अनुसंधान एवं विकास को समर्थन ।
5. निर्यात एवं घरेलू खपत में वृद्धि हेतु संवर्धन अभियान का निष्पादन ।
6. विनियामक कार्य-चाय बागानों, फैक्ट्रियों, प्राथमिक क्रेताओं का पंजीकरण एवं ब्रोकरों, नीलामी संगठनों, निर्यातकों तथा चाय अपशिष्ट डीलरों हेतु अनुज्ञापन जारी करना ।
7. स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के क्षेत्र में रोपण कर्मियों एवं उनकी संतानों हेतु कल्याणकारी उपाय ।
8. चाय आंकड़ों का संग्रहण एवं वितरण; तथा
9. केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ऐसी अन्य गतिविधियाँ ।

निधि का स्रोत :

उपर्युक्त कार्य हेतु निधि केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी तथा राजस्व शीर्ष के अंतर्गत बोर्ड को प्रदान की जाती है । राजस्व निधि का प्रयोग विशेषरुप से प्रशासन व स्थापना प्रभार के लिए किया जाता है जिसमें चाय पर उपकर मुख्य स्रोत है । पूंजीगत निधियों का प्रयोग बोर्ड के विविध विकासात्मक, संवर्धनात्मक एवं कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूंजी निधियों का प्रयोग किया जाता है । चाय अधिनियम, 1953 की धारा 25 (1) के तहत भारत में उत्पादित सभी चायों पर 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उपकर लगाया जाता है, केवल दार्जिलिंग चाय पर उपकर 20 पैसे प्रति किलोग्राम है । यद्दपि जीएसटी कार्यान्वयन के बाद, तैयार चाय के उत्पादन पर लागू उपकर को जीएसटी में समाविष्ट किया गया है एवं धारा 3 के खंड (सी), धारा 25 एवं 26 तथा धारा



स्थापना विभाग की भूमिका नीति बनाना तथा चाय नियमों के प्रावधानों तथा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग व कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उप-नियमों, नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। सचिव इस विभाग के प्रधान हैं जिसे सहायक सचिव द्वारा सहायता दी जाती है । यह बोर्ड के कर्मचारियों व अधिकारियों से संबंधित मामलों, सेवा सम्बंधी मामलों, कार्यालयों की स्थापना, जनशक्ति पदों आदि से संबंधित सभी मामलों पर कार्य करता है । सचिवालय अनुभाग सचिवालय से संबंधित सभी मामलों पर कार्य करता है जैसे वीआईपी संदर्भ से संबंधित मामलें, बोर्ड मीटिंग का आयोजन आदि जबकि भंडार शाखा बोर्ड के सभी रिकॉर्ड व सूची रखता है ।

बोर्ड की बैठक

रिपोर्टाधीन अवधि (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक) के दौरान दो (02) बैठकों का आयोजन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है :

बोर्ड के बैठक की संख्या	स्थान	दिनांक
236	काज़ीरंगा	26 जून, 2018
237	कोलकाता	26 सितंबर, 2018

टी बोर्ड की जन-शक्ति

31.03.2019 तक बोर्ड की कुल जनशक्ति 448 थी (इसमें प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी शामिल है)। भारत में बोर्ड के कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों की वर्तमान क्षमता का विवरण तालिका-1 में दिया गया है ।

तालिका-1

भारत में बोर्ड की समूहवार जनशक्ति (31.03.2019) तक

क्षेत्र	ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	कुल
मुख्यालय	17	30	74	121
क्षेत्र/उप क्षेत्रीय कार्यालय	49	100	174	323
टी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी	4	0	0	4
कुल	70	130	248	448

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़े वर्ग

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछले वर्ग	कुल
ग्रुप ए	9	4	17	30
ग्रुप बी	22	5	31	58
ग्रुप सी	45	15	22	82
कुल	76	24	70	170

बोर्ड के कर्मचारियों का आयु-वार विवरण (प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को छोड़कर)

आयु वर्ग	ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	कुल
18-30	7	10	8	25
31-40	19	60	60	139
41-50	20	14	75	109
51-60	24	46	105	175
कुल	70	130	248	448

टी बोर्ड की सेवानिवृत्ति तालिका (अगले पाँच वर्षों में)

वर्ष	ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	कुल
2019	1	4	2	7
2020	1	6	14	21
2021	0	6	7	13
2022	3	6	11	20
2023	2	5	12	19
2019 से 2023 तक कुल	7	27	46	80

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की जन-शक्ति में बदलावः

पदोन्नतिः

मितव्यय सम्बंधी उपायों के अंश के रुप में प्रशासनिक व्यय में प्रभावी आर्थिक तंत्र के लिए टी बोर्ड के नियंत्रण मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने दिनांक 22.02.2017 के पत्र द्वारा यह सुझाव दिया है कि विभाग की अनुमति के बिना कोई नयी भर्ती अथवा पदोन्नति न दी जाए । यद्दपि, वा. एवं उ. मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के आधार पर टी बोर्ड के अनुरोध पर 2018-19 के दौरान एक कर्मचारी को ग्रुप-बी से ग्रुप-ए तथा दो कर्मचारियों को ग्रुप सी से ग्रुप बी में पदोन्नत किया गया है ।

अतिरिक्त दायित्वः

- श्री श्यामल मिश्रा, भा.प्र.से. (हरियाणाः96), संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभआग ने 08.07.2018 तक उपाध्यक्ष, टी बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार संभाला ।
- श्री संजीओ कुमार, (आई.एफ.एस. 1997), कार्यापालक निदेशक, टी बोर्ड, गुवाहाटी ने 07.06.2017 से 04.04.2018 तक वि.स. व मु.ले.अ. का अतिरिक्त दायित्व संभाला ।
- श्री एस. सौन्दराराजन, निदेशक चाय विकास ने 21.12.2018 तक सचिव, टी बोर्ड का अतिरिक्त दायित्व संभाला ।
- डॉ. ऋषिकेश राय, उपाध्यक्ष (राजभाषा) ने 22.12.2018 से सचिव, टी बोर्ड का अतिरिक्त दायित्व संभाला ।

त्यागपत्र एवं पदमुक्ति

- श्री श्यामल मिश्रा, भा.प्र.से. को 09.07.2018 से उपाध्यक्ष के रुप में कार्यमुक्त किया गया ।

नियुक्तियाँ

- श्री अरुण कुमार राय, (भा.पु.से. उड़ीसाः1988) ने 09.07.2018 से उपाध्यक्ष, टी बोर्ड का पदभार ग्रहण किया ।
- श्री प्रभात कमल बेज़बरुआ ने 08.03.2019 से अध्यक्ष, टी बोर्ड का पदभार ग्रहण किया ।
- श्री पी.के. साहु, (आईओएफएस1997) ने 05.04.2018 से वि.स. एवं मु.ले.अ. का पदभार ग्रहण किया ।

सेवानिवृत्ति

- श्री जयंत राय, डब्लू.एल.ओ. (उत्तर) 30.09.2018 बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गए ।
- श्री प्रहलाद छेत्री, स.नि.चा.वि. 31.01.2019 को बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गए ।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सोलह (16) अन्य कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए ।

दिवंगत

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दो (02) कर्मचारियों का निधन हो गया ।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पांच (05) कर्मचारियों ने विभिन्न संवर्गो से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण किया ।

एमएसीपी लाभ

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, एमएसीपी योजना के तहत कुल 36 (छत्तीस) कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हुआ वह निम्नस्त हैः-

ग्रुप-ए	03
ग्रुप-बी	05
ग्रुप -सी	28
कुल	36

स्वच्छ भारत अभियान

- समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, टी बोर्ड ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

प्रशिक्षण

- **टी बोर्ड के दो कर्मचारियों को ब्रिटिश काउंसिल, कोलकाता में प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था ।**

लोक शिकायत, संसदीय प्रश्न, मंत्रालय पत्राचार एवं अन्य वीआईपी संदर्भ

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड ने 64 संसदीय प्रश्न, 26 लोक शिकायत, 120 मंत्रालय पत्राचार एवं 19 अन्य वीआईपी संदर्भ का समाधान किया । असम सभा के 8 प्रश्नों का भी समाधान किया गया है।

कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु शाखा

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान टी बोर्ड में यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु गठित शाखा में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है ।

चिकित्सा नीति

- टी बोर्ड भारत ने समूह स्वास्थ्य मेडिक्लेम बीमा के विस्तार हेतु मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को वर्तमान कर्मचारिगण एवं उनके आश्रितों के इन-पेशेंट चिकित्सा के लिए 28.03.2019 से दायित्व सौंपा गया ।

केरल

टी बोर्ड	टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय,
इन्दिरा गांधी रोड , विलिंगडॉन आइलैंड, कोची - 682003 , केरल , दूरभाष : 0484-2666523/2340481 फ़ैक्स : 0484-2666648 ईमेल : teaboardkochi@sancharnet.in	511/1, कल्लोलिकल बिल्डिंग, पीयरमेड पोस्ट इदुक्की डीटी., कुमिली, इदुक्की जिला , केरल - 685 509, दूरभाष : 04869 - 222628 , ईमेल : teaboard.kumily@gmail.com

आंध्र प्रदेश

टी नूक, सी.आर.ओ. जी) कार्यालय के निकट रेलवे आरक्षण कॉम्पलेक्स काउंटर के विपरित) तिरुमाला-517504, आंध्रप्रदेश

असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं मेघालय

कार्यपालक निदेशक टी बोर्ड उत्तर पश्चिम आंचलिक कार्यालय हाउसफेड कॉम्पलेक्स, 5वां व 6 वां तल, सेंट्रल ब्लॉक बेलतला बशिष्ठ रोड , दिसपुर, गुवाहाटी -781006, दूरभाष : 0361-2228944/2228945 फ़ैक्स : 0361-2234251 ईमेल : teaboardguwahati@hotmail.com	टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, टी बोर्ड, आईटीआई रोड, पो. इंद्रनगर, वाया-कुंजबन, अगरतला, त्रिपुरा-799006 दूरभाषः0381-2354639/फैक्सः0381-2354182 ईमेल: teaboard.agartala@gmail.com
लघु चाय रोपण विकास निदेशालय, जीग-जैग रोड, चौकीदींघी, शांतिनिकेतन अपार्टमेंट के विपरित, पोस्ट डिब्रूगढ़-786001 दूरभाष : 0373-2324982 ईमेल: teaboardsgdd@gmail.com teaboarddibrugarh@gmail.com	टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय क्लब रोड , सिल्चर -788001 , जिला - कछार , असम , दूरभाष : 03842-232518, ईमेल : silchar_tboard@rediffmail.com
टी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय , प्राइवेट रेसीडेंस , 2 तल , किंगकप स्कूल के निकट , वी.आई.पी. रोड , पोस्ट-इटानगर अरुणाचल प्रदेश - 791 111 ईमेल आईडी: teaboarditanagr@gmail.com	टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय टी रिसर्च एसोशिएशन कॉम्प्लेक्स , सिन्नामारा, जोरहाट - 785001,असम ईमेल : teaboardjorhat@gmail.com

टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, चुनाव कार्यालय के विपरीत, जिला - सोनीतपुर, गणेश घाट, तेजपुर-784001, असम , दूरभाष : 03712-233664, ईमेल : tezpurteaboard@gmail.com	टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय एल. के. बरूआ रोड, अमोलापट्टी, जिला-सिवसागर, असम पिन-785640 ईमेल : teaboard.sivsagar@gmail.com
टी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, "पुण्यालय" मारवाड़ी पट्टी, वार्ड नम्बर-1 पोस्ट व जिला गोलाघाट, (असम) पिन-7856215, असम ईमेल: teaboardgolaghat@gmail.com	टी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, खर्गेस्वर रोड, बीएसएनएल कार्यालय के निकट, जिला-तिनसुकिया, असम पिन-7856215 ईमेल: tinsukiateaboard2019@gmail.com
टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय, C/o. मृणाल मोनी भट्टाचार्या, फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के पीछे, पोस्ट व जिला विश्वनाथ चारियाली (असम) ईमेलः nandyanupam3@gmail.com	टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय, C/o श्री प्रभात दास, पोस्ट-जिलाः उदालगुरी पिन-784509, असम ईमेल: nabajotibaro@gmail.com
टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय, लुमनॉनगीम, उम्सनिंग, जिला-रि-भोई, मेघालय पिन-793105 ईमेलः teaboardumsning@gmail.com	टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय, C/o श्री गुगिन गोगोई, पोस्ट-गोगामुख, जिलाः धेमाजी, असम पिन-787034, असम ईमेल: rituvd@gmail.com
टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय, C/o श्री हेमकान्त खानीकर, 14 नम्बर लाइन रोड, इलाहाबाद बैंक के पीछे, राजगढ़, डिब्रुगढ़, असम पिन-786611 ईमेलः pbaidya23@yahoo.com	टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय, जेमाबाव्क हाई स्कूल रोड, हाउस नं. आर के-62 ऐजवाल, मिजोरम पिन-796017 ईमेल: diganta_2009@rediffmail.com

टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, पोस्ट-धर्मनगर, नॉर्थ त्रिपुरा पिन-899250 ईमेल : mnskrmllk@gmail.com	टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, राजाधाप पशु अस्पताल के निकट पोस्ट-सोनारी, जिला-चराईडिओ, असम पिन-785690, असम ईमेल : teaboard.sonari@gmail.com

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंव महाराष्ट्र

उ.प.भा. विशेषाधिकारी टी बोर्ड 13/2 जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड , नई दिल्ली -110011, टेली फ़ैक्स: 011-23074179, मोबाईल : 09818007168 ईमेल : nasstats@gmail.com , daktboard@gmail.com	टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, कालु दी हाट्टी, पालमपुर, कांगड़ा, हि.प्र. दूरभाष : 01894-238171 फैक्स : 01894-238178 ईमेल : teaboardpalampur@gmail.com
टी बोर्ड उप-कार्यालय लिंक रोड, थापलिया, अल्मोड़ा उत्तराखंड पिन-263601 ईमेलः teaboardalmora@gmail.com	टी बोर्ड रेशम भवन , 78, वीर नरीमन रोड, मुंबई - 400002, टेलीफोन : 022-22041699, जी.एच टेली) 23675401 ईमेल : mumteaboard@gmail.com

रूस

टी बोर्ड ऑफ इंडिया , 4, वोरोंत्स्वो पोलये- भारतीय दूतावास , मॉस्को रशियन फ़ैडरेशन , दूरभाष/ फ़ैक्स: +7 (495)916 3724, +7-495 783 7535 एक्स: 293 + 7(495)917 1657 आवास : +7(495)952 0524 मो. : +0079653862273 ईमेल : teaboard@indianembassy.ru , dtp@indianembassy.ru

7.	हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि) के प्रधान सचिव, शिमला	सदस्य	नियम 4 के उप-नि.म (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार का प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.न.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 11/2/2019 की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना सं.एस.ओ. 783 (ई) देखें]
8.	श्री रमेन डेका, सांसद, लोकसभा	सदस्य	नियम 4 के उप-नि.म (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार का प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.न.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 11/2/2019 की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना सं.एस.ओ. 783 (ई) देखें]
9.	श्री पी. नागराजन सासंद, लोकसभा	सदस्य	नियम 4 के उप-नि.म (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार का प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.न.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 11/2/2019 की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना सं.एस.ओ. 783 (ई) देखें]
10.	श्रीमती शांता छेत्री सांसद, राज्यसभा	सदस्य	नियम 4 के उप-नि.म (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार का प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.न.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 11/2/2019 की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना सं.एस.ओ. 783 (ई) देखें]
11.	श्री बी. कुमारन, 6/415, होनाथली, बील्लीकॉम्बी पोस्ट) नीलगिरि-643214 तमिलनाडु	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
12.	श्री बिपन सिंहल सचिव, लघु उद्योग भारती-उत्तर बंगाल इकाई मैग ट्री प्राईवेट लिमिटेड प्रिमियम अपार्टमेंट, 2 तल, शिव मंदिर रोड, पंजाहीपारा, सिलिगुड़ी-734001, पश्चिम बंगाल	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]

ाशी वांगचूक तातोंग सरकारी स्कूल के नीचे, दारा गाँव, गंगटोक-737102,	सदस्य	तहत र के ा- ांक 09/03/2019 सं. एस.ओ. 1295
ारीलाल अग्रवाल 1ए, 137, सेक्टर 3, लेक कोलकाता-700096 न बंगाल		1 के, खंड के तहत राज्यों के सरकार के नियुक्ति [एफ.स.टी- 8-पौध से दिनांक 09/03/2019 आई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295]

ध्यक्ष
भारतीय चाय संस्थान
रॉयल एक्सचेंज,
6, नेताजी सुभा

21.	सभापति भारतीय चाय संस्थान इंडिया एक्सचेंज, 4, महाराणा प्रताप सरणी 7वां तल, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700 001	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018 पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।
22.	श्री जे. रमन थुम्बानटी ग्राम व पोस्ट, ऊटी, द नीलगिरि-643002 तमिलनाडु	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
23.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (सी) के तहत चाय संपदाओं के मालिक तथा बागान एवं चाय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व
24.	श्री निधेश हंसमुखलाल शाह टी ट्रेडर्स व एक्सपोर्टस फोरम, "मधुवन", घर हो तो ऐसा के विपरीत कमल मंदिर रोड, संस्कार सोसाईटी के निकट, सुरेन्द्रनगर-363002 गुजरात	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
25.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम के खंड (सी) के तहत चाय संपदाओं के मालिक तथा बागान एवं चाय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व
26.	श्री भावेश रमेशभाई पटेल संयुक्त प्रबंध निदेशक विक्रम टी प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड अजंता नगर, देवेलगाँव राजा रोड, जालना-431203, महाराष्ट्र	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
27.	श्री पी. मोहनन ताचूपुरमबिल, पोस्ट-लांड्री, लांड्री एस्टेट इडुक्की-685505, केरल	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]



अध्याय-2

वैश्विक व भारतीय चाय परिदृश्य का एक व्यापक सिंहावलोकन

वैश्विक चाय परिदृश्य

उत्तरी अमेरिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में करीब 36 से अधिक देशों तक विस्तृत है, जिसमें जॉर्जिया और अर्जेंटीना के बीच व्यापक कृषि-जलवायु परिस्थितियों में चाय पैदा होती है । वर्ष 2018 के दौरान वैश्विक चाय उत्पादन और उपभोग क्रमशः 5897 मिलियन किग्रा और 5677 मिलियन किलोग्राम था। वर्ष 2018 के दौरान उत्पादक देशों से कुल निर्यात 1859 मिलियन किलोग्राम तक बढ़ा। मुख्य चाय उत्पादक और निर्यातक देशों में चीन, भारत, केन्या, और श्रीलंका हैं और वे क्रमशः 81% और 74% विश्व चाय का उत्पादन तथा निर्यात करते हैं। तालिका (1)

तालिका -1

2018 के दौरान प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देशों का उत्पादन और निर्यात में हिस्सेदारी ।

देश	उत्पादन		निर्यात	
	मिलियन किग्रा	विश्वव्यापी हिस्सा	मिलियन किग्रा	विश्वव्यापी हिस्सा
चीन	2616.00	44.36	364.70	19.62
भारत	1338.63	22.70	256.06	13.78
केन्या	493.00	8.36	474.86	25.55
श्रीलंका	304.01	5.16	271.78	14.62
अन्य	**1145.00**	**19.42**	**491.42**	**26.43**
विश्व योग	**5896.64**	**100.00**	**1858.82**	**100.00**

स्रोत; आईटीसी की वार्षिक सांख्यिकिक बुलेटिन 2019 (भारत को छोड़कर)

2018 के दौरान मांग की तुलना में पूर्ति की अधिकता के कारण बांग्लादेश को छोड़कर मुख्य उत्पादक देशों के विश्वव्यापी नीलामी मूल्य में गिरावट आई ।

तालिका-2 : चाय का विश्व-व्यापी नीलामी मूल्य यूएस $/कि.ग्रा. में)

देश	2018	2017	>/< वृद्धि 2017
भारत	2.03	2.04	-0.01
बांग्लादेश	3.11	2.45	0.66
श्रीलंका	3.58	4.06	-0.48
केन्या	2.43	2.81	-0.38
लिम्बे	1.84	1.84	0.00

स्रोत; आईटीसी की वार्षिक सांख्यिकिक बुलेटिन 2019 (भारत को छोड़कर)



तालिका-4: प्रमुख उत्पादक देश मिलियन किलोग्राम) का निर्यात

देश	2018	2017	>/< वृद्धि 2017
केन्या *	474.86	415.72	59.14
चीन	364.70	355.26	9.44
श्रीलंका	271.78	278.20	-6.42
भारत	256.06	251.91	4.15
अन्य	491.42	494.13	-2.71
कुल विश्व निर्यात	1858.82	1795.22	63.60

स्रोत; आईटीसी की वार्षिक सांख्यिकिक बुलेटिन 2019 (भारत को छोड़कर)

* केन्या के निर्यात में पड़ोसी अफ्रिकी उत्पादन करने वाले देश शामिल हैं

भारतीय चाय परिदृश्य

भारत में 15 राज्यों में चाय की खेती की जाती है जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। वे कुल उत्पादन का 98% हिस्सा रखते हैं। अन्य पारंपरिक राज्य जहां चाय की खेती की जाती है, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और कर्नाटक राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, और सिक्किम भारत के चाय के नक्शे में प्रवेश करने वाले गैर-पारंपरिक राज्यों में शामिल हैं।

दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि और कांगड़ा जैसी दुनिया की बेहतरीन चाय जो उत्कृष्ट स्वाद, कड़कपन और चमक के लिए प्रसिद्ध हैं, भारत में उत्पादित किए जाते हैं। विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के साथ भारत उपभोक्ताओं के विभिन्न स्वादों और वरीयताओं के अनुकूल चाय के मिश्रण का उत्पादन करता है। प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताएं अलग-अलग होती है जो उन्हें अन्य से अलग करती है।

उत्पादन:

वर्ष 2018-19 **चाय उत्पादन का रिकार्ड वर्ष है** । उत्तर भारत के प्रमुख चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल परिस्थितियों के कारण 2017-18 की तुलना में कुल चाय के उत्पादन में 33.56 मि.कि.ग्रा. तक वृद्धि दर्ज की गई ।

निर्यातः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत ने चाय निर्यात की धारा को बरकरार रखा । 2017-18 की तुलना में 2018-19 में उच्च इकाई मूल्य वसूली के कारण 441.96 करोड़ के उच्च मूल्य वसूली पर 2.07 मि.कि.ग्रा. की सीमांत कमी थी।

प्राथमिक विपणन:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान देश में कुल उत्पादित चाय का 44% सार्वजनिक नीलामियों के माध्यम से बेचा गया, जिसे गत वर्ष बढ़ाया गया था एवं शेष को अन्य तरीके से बेचा गया।

घरेलू प्रतिधारण :

वर्ष 2017-18 में 1089 मिलियन कि.ग्रा. के मुकाबले वर्ष 2018-19 के दौरान चाय का अनुमानित घरेलू प्रतिधारण लगभग 1120 मिलियन कि.ग्रा. रहा।



गैर-योजना प्राप्तियाँ एवं व्यय

क. प्राप्तियाँ

वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-योजना के विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्तियाँ निम्नवत थी :

(₹ लाख में)

चाय अधिनियम की धारा 26 के तहत प्राप्त राशि	6805.05
अनुज्ञापनों/टीएमसीओ, 2003 के बाबत वसूले गए शुल्क	237.11
एचएसीसीपी के बाबत वसूले गए शुल्क	0.00
तरल चाय की बिक्री, हरी पत्तियों की बिक्री, प्रकाशनों की बिक्री, नि□यत जमा पर ब्याज इत्यादि सहित विविध प्राप्तियाँ	526.89
अग्रिम पर ब्याज	5.31
डीसीटीएम के बाबत वसूले गए पंजीकरण शुल्क, असम, डुअर्स, नीलगिरि ट्रेड चिह्न व लोगो प्रशासन	22.11
अन्य प्राप्तियाँ	284.89
कुल	**7881.81**

ख. भुगतान

वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-योजना व्यय निम्नवत थी:

(₹ लाख में)

पुस्तकालय सहित प्रशासन	3110.34
भारत में चाय संवर्धन	288.88
भारत से बाहर चाय संवर्धन	0.00
पेंशन उपदान व छुट्टी नकदीकरण सहित	3250.29
अन्य स्थापना व्यय	151.81
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	113.55
कार्य	13.03
अन्य प्रशासनिक व्यय	625.19
नियत आस्तियों का क्रय	40.30
अन्य भुगतान	286.60
कुल	**7879.99**

प्लान योजना प्राप्ति व भुगतान

ग. प्राप्तियाँ

विभिन्न प्लान योजनाओं के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्तियाँ :

(₹ लाख में)

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना	2967.54
अनुसूचित जाति उप-योजना	919.00
गुणवत्ता उन्नयन व उत्पाद विविधिकरण योजना	334.26
मानव संसाधन विकास योजना	246.70
आर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	1468.44
बाजार संवर्धन योजना	1373.06
चाय विनियम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	300.00
अनुसंधान व विकास योजना	942.00
जनजाति क्षेत्र उप-योजना	623.50
स्वच्छता कार्य योजना	40.00
कुल	**9214.50**

घ. <u>भुगतान-अनुसंधान व विकास अनुदान</u>

(₹ लाख में)

टीआरए/उपासी को सहायता अनुदान	510.63
टीआरए/उपासी के अलावा वित्तिय सहायता	21.71
परियोजना व्यय कार्सियांग -एकीकृत चाय सुधार परियोजना)	20.00
डीटीआर व डीसी का वित्तिय उन्नयन	61.06
कार्यशाला/संगोष्ठि इत्यादि	0.65
संविदागत स्टाफ को वेतन	0.51
क्यूसीएल सिलिगुड़ी व्यय	63.08
संपदा क्रय	08.81
मूल्यांकन व अनुवीक्षण	0.45
अन्य भुगतान	282.56
कुल	**969.46**

ङ. भुगतान - सहायिकी

(₹ लाख में)

रोपण सहायिकी योजना	3004.09
गुणवत्ता उन्नयन व उत्पाद विविधिकरण योजना	336.89
मानव संसाधन विकास योजना	253.52
आर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	1467.84
बाजार संवर्धन योजना	1499.18
अनुसूचित जाति उप-योजना	938.96
चाय विनियम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	650.67
जनजाति क्षेत्र उप-योजना	622.68
स्वच्छता कार्य योजना	40.00
कुल	**8813.83**

च. भुगतान- अनुसंधान योजना एएसआईडीई)

(₹ लाख में)

व्यय	1.37
कुल	1.37

छ. भुगतान-ऋण योजना

(₹ लाख में)

ऋण योजना हेतु आवर्ती कार्पस निधि	1100.07
एसपीटीएफ	16820.08
कुल	17920.15

वर्ष 2018-19 के दौरान योजना पर कुल व्यय

(घ + ङ+ च) = ₹ 9784.66 लाख

मध्यमवर्ती रूपरेखा (2017 -18 से 2019-20) के लिए चाय विकास एवं संवर्धन योजना को 394.85 करोड़ के परिव्यय के साथ स्थापना व्यय के अलावा अन्य क्रियाकलापों हेतु सरकार की मंजूरी दी गई जिसमें रोपण विकास, गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण, बाज़ार संवर्धन, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा चाय विनियमन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम घटक शामिल है।

वर्ष 2018-19 के दौरान चाय विकास एवं संवर्धन योजना घटक के विकासात्मक, मानव संसाधन विकास, एससी एसपी तथा टीए एसपी के अंतर्गत संवितरित निधि		
क्रम सं	**योजना / घटक**	**व्यय (लाख रु० में)**
1	रोपण विकास	2461.11
2	गुणवत्ता संवर्धन तथा उत्पाद विधिकरण तथा ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादन	1798.88
3	मानव संसाधन विकास	245.09
4	लघु उत्पादक विकास	503.26
5	अनुसूचित जाति उप योजना	918.99
6	जनजातीय उप योजना	622.95
	कुल	6550.28

4.2 लघु उत्पादक विकास निदेशालय:

लघु चाय उत्पादक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है जो देश के निर्मित चाय के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान तथा लघु उत्पादकों के समग्र विकास के लिए और अधिक ध्यान देने के लिए चाय बोर्ड द्वारा अप्रैल 2013 में लघु उत्पादक विकास निदेशालय के नाम से एक अलग निदेशालय की स्थापना की गई और वह असम के डिब्रूगढ़ स्थित मुख्यालय से क्रियाशील हो गया । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सभी प्रमुख क्षेत्रों में 11 उप-क्षेत्रीय कार्यालय थे जहां लघु उत्पादक केन्द्रित हैं।

लघु उत्पादक की गणना और परिचय पत्र जारी करना :

लघु चाय उत्पादकों के बेहतर सुरक्षा के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड के कार्यालयों द्वारा लघु चाय उत्पादकों की गणना करने तथा उन्हें परिचय पत्र वितरण करने जैसा महत्वपूर्ण काम अब भी चल रहा है। इस दिशा में मार्च 2019 तक हुई प्रगति का राज्यवार विवरण नीचे सारणी में प्रस्तुत है :

मार्च, 2019 तक कुल 1,97,354 लघु चाय उत्पादकों के नाम की गणना कर ली गई है तथा उसका विवरण नीचे इस प्रकार है:

क्रम सं	**राज्य**	**उत्पादकों की संख्या**	**मुद्रित और जारी किए गए कार्डों की**
1	असम	107371	84327
2	मेघालय	749	609
3	त्रिपुरा	2768	2447



असम,पश्चिम बंगाल,तमिलनाडु,केरल और त्रिपुरा में चाय बागानों के लगभग 14700 कामगारों को प्रशिक्षण देने के लिए चाय बोर्ड ने 2018-19 के दौरान कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत पूर्व शिक्षण कार्यक्रम की मान्यता (प्रकार -2) का आयोजन किया जिसमें रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 117 चाय कामगारों को प्रमाणित किया गया है। शेष कामगारों को प्रशिक्षण देने का काम प्रगति पर है और इसे 2019-20 में पूरा कर लिया जाएगा ।

4.4 स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

सरकार के निदेशानुसार चाय बोर्ड ने बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों में तथा असम के चाय बागानों में स्वच्छता कार्य योजना (**एसएपी**) के कार्यान्वयन हेतु पहल की । बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों की सफाई, आस-पास के सौंदर्यीकरण तथा पश्चिम बंगाल के दूयार्स और तेराई क्षेत्र में विभिन्न एस्टेट्स में ट्विन शौचालय के निर्माण में 40 लाख रुपये खर्च किए गए ।

4.5 बंद चाय इस्टेट :

चाय इस्टेट के बीमार / बंद होने के निम्नलिखित कारण हैं:

- खराब बागान प्रबंधन अभ्यास
- गुणवत्ता में गिरावट और कीमत की प्राप्ति
- असहज (हालांकि आमतोर पर अस्थिर नहीं है) औद्योगिक संबंध परिदृश्य
- सम्पूर्ण विकासात्मक दृष्टिकोण की कमी
- अति ऋण उन्मुख वित्त पोषण रणनीति
- मालिकाना विवाद
- श्रमिक असंतोष इत्यादि ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बंद हुए चाय बागानों का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं	चाय इस्टेट का नाम	चाय के अंतर्गत क्षेत्र हेक्ट)	राज्य	बंद की तारीख	कामगारों की संख्या		वर्तमान स्थिति
					स्थायी	अस्थायी	
1	ढेकलापाड़ा	197	पश्चिम बंगाल	11.03.2006	604	200 (लगभग)	इस्टेट को औपचारिक रूप से माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा परिसमाप्त कर दिया गया । चाय बागान को **माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय** आधिकारक परिसमापक) द्वारा दिनांक 11 मई, 2012 को ई - नीलामी के लिए रखा गया था परंतु कोई संभाव्य क्रेता उपलब्ध नहीं था ।

2								
4					700 (लगभग)			
		पश्चिम बंगाल						
		2	पश्चिम बंगाल			1		
	मेसर्स पीरमेड टी कंपनी लिमिटेड पीरमेड एंड लोन ट्री टी इस्टेट		केरल		16	2		
	मेसर्स प्लांटेशन्स-कोट्टामाला एंड बोनामी टी इस्टेट					375	-	कंपनी को केरल आदेश प्राप्त हुआ है जिस कि वर्तमान में कंपनी का के अंतर्गत होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं जा स
	बोनाकोर्ड						-	वित्तीय संकट के कारण इ इस्टेट का परित्याग कर दिया

4.6 **वर्तमान में चल रही योजना के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि का विवरण :**

घटक - रोपण विकास योजना

घटक - रोपण विकास योजना									
वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार वित्तीय संवितरण एवं भौतिक उपलब्धियां									
राज्य	क्रियाकलाप	पुनर्रोपण हेक्ट)	पुनर्स्थापन रोपण हेक्ट)	जीर्णोद्धार छंटाइ हेक्ट)	नया रोपण हेक्ट) [12वीं योजना मामला]	सिंचाई हेक्ट)	भूमि का मशीनीकरण उपकरण की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्यय	कुल
असम	वित्तीय (लाख रु०)	1307.11	115.01	43.41	82.46	160.15	10.3		**1718.44**
	भौतिक	527.6	100.16	69.43	93.79	2005.03	68		
त्रिपुरा	वित्तीय (लाख रु०)		4.05						**4.05**
	भौतिक								
पश्चिम बंगाल	वित्तीय (लाख रु०)	605.99	45.87	35.41	0	17.68	2.98		**707.93**
	वित्तीय (लाख रु०)	545.47	27.91	98.43	0	355.86	0		
तमिलनाडु	वित्तीय (लाख रु०)						15.85		**15.85**
	वित्तीय (लाख रु०)						46		
केरल	वित्तीय (लाख रु०)	9.74					4.68		**14.42**
	भौतिक	3					24		
कर्नाटक	वित्तीय (लाख रु०)						0.42		**0.42**
	भौतिक						6		
अखिल भारत	वित्तीय (लाख रु०)	**1922.84**	**164.93**	**78.82**	**82.46**	**177.83**	**34.23**		**2461.11**
	भौतिक	**1076.07**	**128.07**	**167.86**	**93.79**	**2360.89**	**144**		

घटक - गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण

घटक - गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण								
वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार वित्तीय संवितरण एवं भौतिक उपलब्धियां								
राज्य	**क्रियाकलाप >**	**कारख़ाना का आधुनिकीकरण (संख्या)**	**मूल्य संवर्धन**	**नए कारखानों की स्थापना (संख्या)**	**प्रमाणन (संख्या)**	**आर्थोडॉक्स एवं ग्रीन टी के लिए प्रोत्साहन (मिलियन किलो ग्राम)**	**अन्य प्रशासनिक व्यय**	**कुल**
असम	वित्तीय (लाख रु०)		121.03	93.99		962.59	0.42	**1178.03**
	भौतिक		8	0		32.06		
त्रिपुरा	वित्तीय (लाख रु०)					3.15		**3.15**
	भौतिक					0.11		
पश्चिम बंगाल	वित्तीय (लाख रु०)		78.74			139.81		**218.55**
	भौतिक		3			4.64		
तमिलनाडु	वित्तीय (लाख रु०)		17.44	18.58	1.98	274.23		**312.23**
	भौतिक		3	9	3	9.12		
केरल	वित्तीय (लाख रु०)				0.54	65.54		**66.08**
	भौतिक				1	3.89		
हिमाचल प्रदेश	वित्तीय (लाख रु०)				0.84	19.999		**20.84**
	भौतिक				2	0.67		
अखिल भारत	**वित्तीय (लाख रु०)**	**0**	**217.21**	**112.57**	**3.36**	**1465.32**	**0.42**	**1798.88**
	भौतिक	**0**	**14**	**9**	**6**	**50.49**		

घटक - लघु उत्पादक विकास योजना एवं विशेष पैकेजेस

भाग-1

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार वित्तीय संवितरण एवं भौतिक उपलब्धियां

	राज्य	असम		त्रिपुरा		अरुणाचल प्रदेश		मेघालय		मिज़ोरम		पश्चिम बंगाल	
घटक	क्रियाकलाप	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक
	फील्ड कार्यालय का सुदृढीकरण	25.14	50	0.77	4	0.48	2	0.55	2	0.40	2	12.69	26
लघु उत्पादक विकास	कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम - कार्यशालाओं एवं प्रतिभागियों की संख्या	12.07	194 8740	0.51	6 330	0.39	6 290	0.24	3 250	0'28	4 180		
	नया रोपण (हेक्ट)	221.85	161.6	0.92	1.3								
	पुनररोपण (हेक्ट)												
	जीर्णोद्धार छंटाइ (हेक्ट)												
	सिंचाई (हेक्ट)			0.08	0.8								
	फील्ड का मशीनीकरण उपकरणों की (संख्या)												

घटक - लघु उत्पादक विकास योजना एवं विशेष पैकेज
भाग-2
वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार वित्तीय संवितरण एवं भौतिक उपलब्धियां

	राज्य	तमिलनाडु		केरल		कर्नाटक		हिमाचल प्रदेश		उत्तराखंड		अखिल भारत कुल	
घटक	क्रियाकलाप	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख	भौतिक	वित्तीय रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक
	फील्ड कार्यालय का सुदृढीकरण	1.65	3					0.038		1.856		**43.57**	**89.00**
एसजीडी	कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम - कार्यशालाओं एवं	2.15	13 455					0.95	14 410	0.75	10 310	**17.34**	**250** **10965**
	प्रतिभागियों की (संख्या)												
	नया रोपण (हेक्ट)	3.44	3.1	8.88	4.42							**235.09**	**170.39**
	पुनररोपण (हेक्ट)	1.82	2.21	1.61	1.41							**3.43**	**3.62**
	जीर्णोद्धार छंटाइ (हेक्ट)	20.2	64.44	7.82	13.6							**28.02**	**78.04**
	सिंचाई (हेक्ट)			0.15	1.50							**0.23**	**2.30**
	फील्ड का मशीनीकरण उपकरणों की (संख्या)	0.27	1									**0.27**	**1** **0**
	स्वयं सहायता समूह को सहता (संख्या)	19.09	6 229									**28.82**	**8** **295**

एसपीएनई	नर्सरी हितधारकों की संख्या)											**18.75**	**5.00**
एसपीआई	उन्मूलन एवं पुनररोपण संख्या एवं (हेक्ट)			27.32	13							**27.32**	**13**
					11.05								**11.05**
	स्वयं सहायता समूह को सहायता स्वयं सहायता समूह और हितधारकों की (संख्या)			10	2							**10**	**2**
					64								**64**
एसकेआरपी	नर्सरी हितधारकों की (संख्या)									29.32	2	**29.32**	**2.00**
	फील्ड मशीनीकरण हित धारकों की (संख्या)							21.04	155			**21.04**	**155.00**
	स्वयं सहायता समूह को मदद स्वयं सहायता समूह और हितधारकों की (संख्या)							37.71	15			**37.71**	**15**
									227				**227**
	प्रशिक्षण/कार्य शालाओं /सेमीनारों की (संख्या) कार्यक्रमों और प्रतिभागियों की (संख्या)							0.11	1			**0.11**	**1**
									70				**70**

	अन्य एसटीजी आधाररेखा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की किया गया भुगतान	0.56						1.26				**2.24**	**0.00**
	कुल	**49.18**		**55.78**		**0**		**61.10**		**31.926**		**503.26**	

घटक -अनुसूचित जाति उप-योजना

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार वित्तीय संवितरण एवं भौतिक उपलब्धियां

	असम		**त्रिपुरा**		**तमिलनाडु**		**केरल**		**हिमाचल प्रदेश**		**उत्तराखंड**		**पश्चिम बंगाल**		**बिहार**		**कुल**	
क्रियाकलाप	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक
पुनररोपण (हेक्ट)					0.05		3.47	0.4									**3.52**	**0.4**
जीर्णोद्धार छंटाइ (हेक्ट)				8.76		17.5	0.53	1.3									**9.29**	**18.82**
सिंचाई (हेक्ट)					0.92	1.22											**0.92**	**1.22**

फील्ड का यांत्रिकीकरण (सं)	175	227 148.1	26.03	37 7.7					4	13 9	11.82	78 49					216.89	**355** **213.8**
स्वयं सहायता समूह को सहायता- (स्वयं सहायता समूह की (संख्या), स्वयं सहायता समूह के के लघु उत्पादकों की (संख्या)	9.38	2 60.47			4.36	3 56			17.92	5 116	20	4 65	45.59	7 975			**97.25**	**21** **297.5**

एफ़पीओ को सहायता - (एफ़पीओ की (संख्या), एफ़पीओ के लघु उत्पाद		1				1											**2**
कों की (संख्या)	18.71	50.4			2	29										**20.71**	**79.4**
एफ़पीओ / एफ़पीसी द्वारा नए बड़े कार खानों की स्थापना (संख्या)			46.88	1									310	2		**356.88**	**3**

इनपुट ,एल सीवी आदि के लिए एकल एसटी एसटी जी को सहाय ता (संख्या)	0.1	1 0.67			2.77	1					25.15	7 64	68.72	236			**96.74**	**245** **64.67**
शिक्षा वजी फासं (संख्या)					16.72	70	14.91	61					15.32	127			**46.95**	**258**
नेहरू पुर स्कार (संख्या)							1.88	47					0.68	7			**2.56**	**54**
अन्य प्रशास निक /फुटक र खर्च					0.5	1	0.5	1					0.15	1			**1.15**	**3**
कुल	216.88		76.18		38.50		21.29		24.52		59.17		482.29		0.16		**918.99**	

घटक - जनजातीय क्षेत्र उप- योजना

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार वित्तीय संवितरण एवं भौतिक उपलब्धियां

	असम		त्रिपुरा		नागालैंड		मेघालय		तमिलनाडु		हिमाचल प्रदेश		उत्तराखंड		पश्चिम बंगाल		कुल	
क्रियाकलाप	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक
जीर्णोद्धार छंटाइ (हेक्ट)									1.73	1.20							**1.73**	**1.2**
फील्ड का यांत्रिकीकरण (संख्या)	235.32	339 251.8	31.96	62 27.7	1.98	3 3.8					12.62	18 26.00	1.36	15 17			**283.24**	**437** **326.36**
स्वयं सहायता समूह को सहायता- (स्वयं सहायता समूह की (संख्या), स्वयं सहायता समूह के के लघु उत्पादकों की सं	70.9	8 221.1	6.62	1	12.76	1			11.86	5 189	13.09	4 49					**115.23**	**19** **459.1**

एफ़पीओ/एफ़पीसी द्वारा नए छोटे चाय के कारखानों की स्थापना	11.73	1														**11.73**	1
कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम		1173		25						25		8				17		**248**
कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम की (संख्या) तथा प्रतिभागियों की (संख्या)	75.39	7809	14.35	917					2.50	767	1.6	16			25.98	774	**119.82**	**10283**
अध्ययन यात्रा												8		8				**16**
यात्राओं की संख्या तथा प्रतिभागियों की (संख्या)											1.6	16	1.6	16			**3.20**	**32**

इनपुट ,एलसीवी आदि के लिए एकल एसटीएस टीजी को सहायता (संख्या)	5.54	49 254	2.54	15 73			1	2 10			11.93	3 33	3.45	1 2			**24.46**	**70** **372**
शिक्षा वजीफा (संख्या)								0. 99		3					51.65	552	**52.64**	**555**
नेहरू पुरस्कार (संख्या)															3.26	34	**3.26**	**34**
अन्य प्रशासनिक /फुटकर खर्च	5														2.64	6	**7.64**	**6**
कुल	403.88		55.47		14.47		1.00		17.08		40.84		6.41		83.53		622.95	







बोर्ड द्वारा कुल 57 जुड़वा शौचालयों का निर्माण किया गया है जिसमें अलीपुरद्वार एवं जलपाईगुड़ी जिले में 20-20 शौचालय बनाए गए हैं एवं 17 शौचालय उत्तर बंगाल के तराई क्षेत्र में बनाए गए हैं।



धुलापदुंग टीई, तेजपुर में 03-12-2018 को पीएमकेवीवाई के तहत पूर्व शिक्षा की मान्यता के प्रमाण-पत्र का वितरण



28.02.2019 को तेजपुर, असम में चाय सहयोग मोबाइल एप्प का उद्घाटन



01.03.2019 को कारबी आंगलोंग में टी एस पी के तहत औपचारिक वितरण



18.03.2018 को लघु चाय उत्पादक हेतु गेरूबारी विश्वनाथ चराली में कार्यशाला



उत्तर बंगाल में बेहतरीन प्लकिंग तथा कीट व रोगों की पहचान करने का प्रशिक्षण



उत्तर बंगाल में यंत्रीकृत प्लकिंग का प्रशिक्षण



31.10.2018 को आं. का. कुन्नूर, तमिलनाडु में उत्पादकों के लिए यांत्रिक हार्वेस्टर का प्रदर्शन



26.05.2018 से 27.05.2018 तक चाय एवं पर्यटन महोत्सव में टी बोर्ड का स्टाल



वागामॉन गांव, कुन्नूर में भूमि प्रदर्शन



कोटागिरि, तमिलनाडु में विशेषीकृत चाय का प्रशिक्षण



चाय अनुसंधान संस्थानों (टीटीआरआई, टीआरए ; उपासी-टीआरएफ़ एवं डीटीआरडीसी) की मुख्य बातें :

2018-19 के दौरान चाय शोध संस्थानों द्वारा संचालित अनुसंधान कार्यकलापें निम्नलिखित हैं :

- उपासी-टीआरएफ ने अनुप्रयुक्त उर्वरकों की दक्षता बढ़ाने हेतु ह्यूमिक एसिड ग्रैन्यूल को शामिल करने के लिए एक तकनीक विकसित की।
- आनुवंशिक एवं बायोइंजीनियरिंग के माध्यम से शुष्कता प्रतिरोधी चाय के विकास के लिए विभिन्न जर्मप्लाज्म का अनुवीक्षण जारी रहा ।
- सामान्य पैकेज चाय की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उपासी-टीआरएफ द्वारा संचालित किए गए अध्ययन ने गुणवत्ता मानकों में भिन्नता दिखाई । अध्ययन के दौरान चौबीस महीने की अवधि में इंगित किया गया कि ऊलॉन्ग चाय में 35.42%, ग्रीन टी (बीओपीएफ़) में 22.19%, ऑर्थोडॉक्स (बीओपीएफ़) में 22.92%, ऑर्थोडॉक्स (ओपी) में 38.24% , सीटीसी (बीओपी -आरसी) एवं सीटीसी (बीओपी -एनआरसी) में क्रमशः 25% एवं 17.65% तथा सीटीसी (एसआरडी -आरसी) एवं सीटीसी (एसआरडी -एनआरसी) में क्रमशः 23.21% एवं 29.51% की थियाफ्लेविन की मात्रा में कमी आई थी ।
- उपासी-टीआरएफ द्वारा एलडीपीई, एचडीपीई, एल्युमिनियम फॉयल और मल्टीवैल पेपर बोरी जैसी विभिन्न पैकिंग सामग्री में सुरक्षित रखने की गुणवत्ता पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि एल्युमिनियम फॉयल में सुरक्षित रखने की बेहतर गुणवत्ता थी , इसके बाद उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन और निम्न घनत्व वाले पॉलीइथाइलीन का गुणवत्ता अच्छा रहता है ।
- टीआरए द्वारा दीर्घकालिक परीक्षण के तहत आशाजनक सीड स्टॉक की उपज क्षमता का आकलन किया गया। स्टॉक 667 ने नियंत्रण (टीएस 520) की तुलना में उच्च हरी पत्ती की उपज (2.89 किग्रा / प्लॉट) देखी गई।
- फलाप, जो हिमालयी क्षेत्र के असम-अरुणाचल बेल्ट के शिंगपो समुदाय की एक पारंपरिक एक हस्तनिर्मित जैविक चाय है, पर असम - अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अवस्थित तिनसुकिया एवं लोहित जिले में टीआरए के द्वारा औषधीय अध्ययन संचालित किया गया था । फलाप नमूनों की एंटीऑक्सिडेंट गतिविधि (डीपीपीएच स्कैवेंजिंग गतिविधि) के विश्लेषण ने 167.63 ± 1.24 मिमी टीएच / जी दिखाया ।
- चाय में मृदा संशोधन के लिए डोलोमिटिक लाइम के विकल्प के रूप में कैलसीप्रिल के प्रभाव पर अध्ययन जारी रखा गया है और उपज की विशेषताओं को दर्ज किया गया है। उपज की प्रवृत्ति से पता चलता है कि चाय की मिट्टी में कैलसीप्रिल का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- टीआरए वैज्ञानिकों ने पाया कि फॉस्फेट के अनुशंसित 50% के खुराक के साथ फॉस्फेट को घोलने वाले सूक्ष्मजीवों के संयोजन के अनुप्रयोग से फॉस्फेट के अनुशंसित खुराक की तुलना में चाय की उपज में थोड़ी अधिक वृद्धि हुई ।
- अजैविक चाय खेती की तुलना में जैविक चाय खेती के मृदा में सूक्ष्मजीवों के आबादी का मूल्यांकन टीआरए वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। अजैविक भूखंडों की तुलना में जैविक भूखंडों में सूक्ष्मजीवों की आबादी अधिक पाई गई थी । सूक्ष्मजीवों की अधिकतम जनसंख्या अकार्बनिक



नियामक मुद्दे :

- **पौध संरक्षण कोड (प्लांट प्रोटेक्शन कोड / पीपीसी) :** "पीपीसी पर गठित तकनीकी समूह" के सुझावों के अनुसार पीपीसी का 10 वां संस्करण चाय में उपयोग के लिए कीटनाशकों की अद्यतन सूची के साथ जारी किया गया है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण एफ़एसएसएआई) ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 537 दिनांक - 24 दिसम्बर, 2018 के माध्यम से चाय की खेती में प्रयोग हेतु 12 कीटनाशकों के लिए कोडेक्स एमआरएल को अपनाया । वर्तमान में, एफ़एसएसएआई द्वारा चाय की खेती हेतु कुल 33 कीटनाशकों के न्यूनतम अवशिष्ट सीमा एमआरएल) तय किया गया है।
- चाय में प्रोपरगाईट का नई ईयू एमआरएल 28.06.2018 के प्रभाव से 10 मिलीग्राम / किलोग्राम तय किया गया है।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (क्यूसीएल) , सिलिगुड़ी

- क्यूसीएल, सिलीगुड़ी को रासायनिक और कीटनाशक अवशेषों के 33 मापदंडों पर परीक्षण के लिए 07.11.2018 को एनएबीएल मान्यता का नवीकरण मिला है। क्यूसीएल को जैविक परीक्षण के क्षेत्र में 2 माइक्रोबायोलॉजिकल मापदंडों कुल प्लेट गणना एवं खमीर व फफूँदी गणना) के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त हुआ है।
- एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित जैव रासायनिक मापदंडों के तहत परीक्षण किए गए वाणिज्यिक नमूनों की कुल संख्या 250 है और गुणवत्ता मापदंडों के लिए परीक्षण किए गए प्रयोगात्मक नमूनों की संख्या185 हैं।
- कीटनाशक अवशेषों के लिए परीक्षण किए गए वाणिज्यिक नमूनों की कुल संख्या 171 है।
- भारी धातु के लिए परीक्षण किए गए वाणिज्यिक नमूनों की कुल संख्या 169 है।
- सूक्ष्मजैविकी मापदंडों के तहत परीक्षण किए गए वाणिज्यिक नमूनों की कुल संख्या 103 है।
- कुल राजस्व की प्राप्ति रू. 11,14,000/- हुई है ।
- एक नोडल प्रयोगशाला के रूप में सूक्ष्मजैविकी मापदंडों और चाय मैट्रिक्स में कीटनाशक पर दो अंतर प्रयोगशाला परीक्षण (आईएलसी) कार्यक्रम का संचालन किया ।

चाय जीनोम अनुक्रमण परियोजना

चाय दुनिया का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण कैफीन युक्त पेय है जिसका अपार आर्थिक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व है। लंबे गर्भ काल, आत्म-असंगति, अत्यधिक विषम व बड़े जीनोम की जटिलताओं के कारण पारंपरिक प्रजनन पद्धति के माध्यम से चाय का आनुवंशिक सुधार बहुत चुनौतीपूर्ण और लंबा समय लेने वाला रहा है। इस स्थिति में, मार्कर सहायक प्रजनन (एमएबी) का अनुप्रयोग एक

बेहतर विकल्प है। यह दृष्टिकोण भविष्य में चाय पर अग्रिम शोध करने और बेहतर रोपण सामग्री विकसित करने के लिए आणविक प्रजनकों और जैव प्रौद्योगिकीविदों के लिए एक मंच प्रदान करेगा। टी जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना एक बड़ी पहल है जो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान फाउंडेशन (एनटीआरएफ) , टी बोर्ड द्वारा चार वर्षों के लिए दो चरणों में इन संस्थानों के सहयोग से शुरू की गई है - (i) आईसीएआर-एनआरसीपीबी, दिल्ली (ii) सीएसआईआर-आईएचबीटी, पालमपुर (iii) डीटीआर एंड डीसी, कार्सियोंग (iv) टीआरए, जोरहाट और (v) उपासी-टीआरएफ, तमिलनाडु । यह परियोजना 3 अप्रैल, 2017 को शुरू की गई थी और निरंतर जारी थी।

महत्वपूर्ण बैठकें : पौध संरक्षण कोड (पीपीसी) पर गठित तकनीकी समूह की 11 वीं बैठक 4 दिसंबर , 2018 को कोलकाता में आयोजित की गई थी।

2018-19 के दौरान सवर्धनात्मक क्रियाकलापों की समीक्षा

महत्वपूर्ण व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेकर , निर्यात हेतु रूस , कजाखस्तान एवं चीन जैसे अत्यधिक संभावित देशों में चाय प्रतिनिधिमंडल भेज कर , चाय व्यापार के साथ बड़े स्तर पर संपर्क-कार्य कायम कर , व्यापारिक पूछताछ में भाग लेकर , ईरान यूरोपियन यूनियन , रूस जैसे देश के प्रमुख बाज़ारों में भारतीय चाय के मांग में वृद्धि तथा रूस , कजाखस्तान , ईरान , मिस्त्र , संयुक्त राज्य अमेरिका , जर्मनी , जापान , संयुक्त अरब अमीरात इत्यादि देशों के प्रमुख बाज़ारों में बाजार भागेदारी में वृद्धि के उद्देश्य से चाय के गुणवत्ता व सुरक्षा मानकों से संबन्धित मुद्दों पर ध्यान देकर टी बोर्ड ने 2018-19 के दौरान विभिन्न प्रकार के संवर्धनात्मक कार्य-कलापें संचालित किया था । इसके अतिरिक्त चाय निर्यात के साथ-साथ विस्तृत बाजार एवं व्यापार संबन्धित सूचनाओं में हुए प्रगति को टी बोर्ड विदेश में अवस्थित अपने मास्को कार्यालय तथा मुख्यालय के माध्यम से चाय उद्योग को अवगत कराते रहता है । अन्य क्रियाकलापों में भारतीय चाय के अच्छे छवि को बरकरार रखने एवं टी बोर्ड के प्रति जनता के सकारात्मक समझ को प्रभावित करने हेतु सार्वजनिक कार्यक्रम भी शामिल हैं । भारतीय चायों के विभिन्न क़िस्मों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में टविटर, फेस्बूक इत्यादि जैसे सोशल मीडिया माध्यम बहुत प्रभावी सिद्ध हो रहा है ।

भारत, यूएसए, जापान एवं कनाडा के चाय परिषदों का निरंतर सदस्य है एवं चाय परिषदों द्वारा संचालित "चाय" के प्रजातिगत संवर्धन से लाभान्वित हुआ है ।

निरंतर आने वाले आगंतुकों के मध्य भारतीय चाय के विशेषता एवं विलक्षणता का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से खरीदारों और विक्रेताओं के बीच दोतरफा आदान-प्रदान को सम्पन्न करने हेतु टी बोर्ड ने 2018-19 के दौरान ईरान, रूस, सऊदी अरब, यूएई, चीन, जर्मनी और जापान के आठ (8) प्रतिष्ठित व्यापार मेलों में भाग लिया । इसके अतिरिक्त रूस, कजाकिस्तान और चीन के अत्यधिक संभावित बाजारों में तीन (3) प्रभावी और सफल व्यापार प्रतिनिधिमंडल को व्यापार विपणन हेतु व्यापार बी -2-बी) वार्तालाप और संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ व्यापार-संबंधित विभिन्न मुद्दों को देखने हेतु भेजा गया था । इसके अलावा, टी बोर्ड भारत ने इसी अवधि के दौरान विभिन्न स्थानों पर आयोजित छह (6) घरेलू व्यापार मेलों मेंभाग लिया था ।

2018-19 के दौरान प्रमुख मदों पर किए गए व्ययों का संक्षिप्त ब्यौरा विस्तृत विवरण सहित नीचे दिया गया है।

विदेशी संवर्धन एवं व्यापार प्रतिनिधिमंडल

(A) व्यापारिक मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा संवर्धन

1. 29 जून से 02 जुलाई, 2018 के दौरान तेहरान में आयोजित "ईरान एग्रो-फूड तेहरान" में भागीदारी:

29 जून से 02 जुलाई, 2018 के दौरान तेहरान में आयोजित 25वां ईरान एग्रो-फूड अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला एक प्रसिद्ध व्यपार प्रदर्शनी है जिसमें कृषि, खाद्द और पेय प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग, बेकरी, कन्फेक्शनरी, स्नैक्स, कॉफी, चॉकलेट आइसक्रीम, खाद्द सामग्री और खाद्द, पेय पदार्थ और खाद्द पदार्थ सेवा क्षेत्र शामिल है । यह हर साल प्रसिद्ध तेहरान अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किए जाते हैं। यह आयोजन वर्षों से ईरान में विभिन्न आयात और वितरण माध्यमों पर उत्पादकों की प्रदर्शनी करने के साथ - साथ उत्पादकों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में सबसे अच्छा तरीका बन गया है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को महत्वपूर्ण नेटवर्किंग अवसर प्रदान करता है।

इस वर्ष भी ब्राजील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और तुर्की के प्रतिनिधित्व के साथ तेहरान परमानेंट फेयर ग्राउंड में प्रथागत उत्साह के साथ व्यापार मेले का आयोजन किया गया । विभिन्न प्रकार के खाद्द उत्पादों का स्वाद लेने के लिए करीब 1 लाख दर्शक एवं 450 से अधिक प्रदर्शक आए। चूंकि ईरानी लोगों के मानस में चाय का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो भारतीय चायों के विविधताओं से बेहद प्रभावित हैं, टी बोर्ड भारत ने ईरान में भारतीय चाय की दृश्यता और संवर्धन को सुदृढ़ करने के लिए मेले में भाग लिया ।

टी बोर्ड के स्टाल ने पोस्टरों के विस्तृत श्रेणी के साथ-साथ कंपनी स्क्रॉल-अप जो भारतीय चाय के विभिन्न पहलुओं - जैसे विस्तृत और विशाल चाय सम्पदा, शानदार लोगो, जीवंत कार्यबल एवं उत्फुल्ल उत्पाद श्रेणी को प्रदर्शित कर रहे थे, वह पूरे बूथ में प्रदर्शन के लिए पर्याप्त थे। दार्जिलिंग, असम,सिक्किम और नीलगिरि जैसे तरल चाय के नमूनों को काउंटरों पर केंद्रित प्रचार के साथ प्रदर्शित किया गया था। इसने सभी चार दिनों के दौरान आगंतुकों की काफी संख्या को आकर्षित किया । काउंटरों पर तरल चाय का नमूना एक तात्कालिक सफलता थी, जहाँ पर उत्तम किस्मों का स्वाद लेने के लिए लोगों की होड़ लगी थी । सीईओ, ईरानी चाय आयोग (आईटीसी) , ईरानी संघ के खाद्य थोक विक्रेताओं के एक आधिकारिक उपसमूह के साथ एक विस्तृत चर्चा की गई थी और उन्होंने व्यापार आश्वासन प्रमाणपत्र जारी किए तथा सीमा शुल्क, मानकों, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि से संबंधित मुद्दों को हल करने में मदद करने के लिए सुरक्षित और सफल व्यवसाय प्रथाओं को स्थापित करने के लिए आश्वासन भी दिया।

2. 17-20 सितंबर, 2018 के दौरान "वर्ल्ड फूड, मॉस्को", रूस में भागीदारी : "वर्ल्ड फ़ूड मॉस्को" रूस में खाद्य उत्पादों के लिए अग्रणी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी है, जो 17 सितंबर से 20 सितंबर, 2018 के दौरान मॉस्को शहर के एक्सपो सेंटर आयोजित हुई थी । पिछले 20 वर्षों में, वर्ल्ड फूड मॉस्को खाद्द एवं पेय उद्योग के लिए एक प्रमुख मिलन स्थल के रूप में विकसित हुआ है तथा रूसी बाजार के लिए उत्पादों





5. 11 से 15 फरवरी, 2019 के दौरान मास्को, रूस में "प्रोडेक्सपो" में भागीदारी: रूस में **"प्रोडेक्सपो"** सबसे बड़ी वार्षिक विशिष्ट प्रदर्शनी है। इसने 20 से अधिक वर्षों के दौरान रूस में घरेलू खाद्य उद्योग के विकास को सुनिश्चित किया है। वर्षों के अपने अस्तित्व के दौरान प्रोडेक्सपो प्रदर्शनी ने रूसी खाद्य उद्योग को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान प्रोडेक्सपो खाद्य, पेय और खाद्य के कच्चे माल के लिए अपनी 25 वीं वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का गवाह रहा एवं इसका आयोजन मेसर्स एक्स्पोसेंटर मास्को, रूसी संघ द्वारा किया गया था। टी बोर्ड इंडिया ने 11 से 15 फरवरी, 2019 तक आयोजित प्रोडेक्सपो 2019 में प्रमुख चार निर्यातकों के साथ भारतीय चाय पवेलियन के 66 वर्गमीटर के स्थान के साथ भाग लिया था । उपरोक्त निर्यातकों में से प्रत्येक को प्रदर्शनी की चाय व कॉफी के पवेलियन 8 हॉल 3 में स्थित भारतीय चाय पवेलियन में शेल स्कीम के तहत 12 वर्ग मीटर स्थान से निर्मित स्टाल मुहैया कराया गया था, जबकि टी बोर्ड इंडिया ने 18 वर्ग मीटर का स्थान लिया था । टी बोर्ड के स्टॉल को दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि, सिक्किम, कांगड़ा, मसाला चाय और योग चाय के पोस्टर (रूसी भाषा में) से सजाया गया था। स्टॉल पर इन चायों की अलग-अलग कैडियों को भी प्रदर्शित किया गया था । भारतीय चाय की विविधता के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रूसी भाषा में विवरण पुस्तिका को एक उपयोगी संदर्भ के रूप में वितरित किया गया था। टी बोर्ड भारत के पवेलियन में एलईडी टीवी पर भारतीय चाय के बारे में लघु फिल्में भी प्रदर्शित की गईं। निर्यातकों ने प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की भारतीय चायों का प्रदर्शन किया। अच्छी गुणवत्ता वाले असम के ओर्थोडोक्स चाय, जिसकी रूस में हमेशा उच्च मांग रहती है, के अलावा, निर्यातकों ने अन्य चायों जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाले दार्जिलिंग चाय, ग्रीन टी, असम चाय, मसाला चाय,मूल्य वर्धित चाय,फ्लेवर चाय,सीटीसी चाय आदि का प्रदर्शन किया जिसने लोगों को लुभाया तथा क्रेताओं से अनेक पूछताछ भी की गयी ।

आयोजन के दूसरे दिन, टी बोर्ड के स्टाल और पूरे चाय पवेलियन का दौरा शिष्टमण्डल के उप प्रमुख, प्रथम सचिव एवं दूसरे सचिव, भारतीय दूतावास, मॉस्को द्वारा किया गया था । अधिकारियों ने भारतीय निर्यातकों के साथ बातचीत की एवं रूस में भारतीय चाय के भविष्य के बाजार परिदृश्य पर पूछताछ की, जिसमें भारतीय निर्यातक रूसी खरीदारों की बढ़ती मांग के अनुसार ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं तथा रूस में भारतीय चाय को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के संभावित समर्थन देने हेतु सुनिश्चित किया था हैं। । उन्होंने भारतीय चाय निर्यातकों को गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने और रूस में उच्च मूल्य वाली चाय को निर्यात करने की सलाह दी क्योंकि ग्राहक की एक बड़ी संख्या भारत से उच्च मूल्य वाली आला दर्जे की चाय एवं जैविक चाय खरीदने में रुचि रखेंगे।

करते हैं । इस महत्वपूर्ण व्यापार मेले में टी बोर्ड ने भारतीय [illegible]ाय के निर्यातकों के साथ भारतीय जैविक चाय की दृश्यता बनाए रखने एवं संवर्धन [illegible]

यह इस प्रदर्शनी का 44वीं वर्षगांठ थी और इसमें कुल 80,426 पंजीकृत आगंतुकों ने भाग लिया था । यह 90 वर्ग मीटर जगह पर बने एक भारतीय चाय पवेलियन के नौ (9) निर्यातकों का एक प्रभावशाली भारतीय चाय प्रतिनिधिमंडल था । टोक्यो में भारत के राजदूत और पहले सचिव (व्यापार), भारत के दूतावास ने भारत के पवेलियन का दौरा किया और निर्यातकों के साथ बातचीत की और उनसे जापान में अपने निर्यात संवर्धन के लिए दूतावास से हर संभव मदद का वादा किया । जापान टी एसोसिएशन के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक, श्री एस. योनेकावा अपनी टीम के साथ टी बोर्ड ऑफ इंडिया के पवेलियन में एक बैठक के लिए आए थे और जापान टी संघ द्वारा भारतीय चाय पर एक पृथक चाय सेमिनार आयोजित करने के लिए उपाध्यक्ष, टी बोर्ड के साथ चर्चा की गई ।

(बी) व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों का दौरा

1. 23 **से** 24 **अगस्त**, 2018 **के दौरान कजाकिस्तान के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडल का दौरा**: मंत्रालय की मंजूरी के अनुसार, कजाकिस्तान के संभावित बाजार के लिए एक पूर्ण व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग और कजाकिस्तान में भारतीय दूतावास के निकट सहयोग से 23-24 अगस्त, 2018 के दौरान दौरा किया।

अंतिम रूप से चुने गए प्रतिनिधियों की सूची में उद्योग के बीस (20) सदस्य शामिल थे जिनमें दो लघु चाय उत्पादकों के प्रतिनिधि और एक भारतीय चाय संघ (ITA) के एक प्रतिनिधि शामिल थे ।

एक क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजन को सुविधाजनक बनाने हेतु और भारत के विविध चाय उगाने वाले क्षेत्रों और उनकी किस्मों के सामान्य प्रचार-प्रसार / आस्वादन के सत्रों का संचालन करने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपाध्यक्ष , टी बोर्ड भारत ने किया था। । पूरी तैयारी के साथ शामिल इस पूरे कार्यक्रम में "भारतीय चाय संगोष्ठी", "क्रेता-विक्रेता बैठक बीएसएम)" पर ज़ोर दिया गया और कजाकिस्तान में भारतीय दूतावास और रूस्तिया कॉफ़ी संघ के सहयोग से आयोजित होने वाले चाय आस्वादन सत्र और चाय युग्मन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था ।

प्रथम प्रदर्शनी के रूप में चाय युग्मन एवं चाय आस्वादन प्रतियोगिता से संबंधित "द इंटरनेशनल टी मास्टर्स कप, कजाखस्तान" कार्यक्रम 23 अगस्त 2018 की सुबह रूस्तिया कॉफी एसोसिएशन के माध्यम से कजाख उपभोक्ता जो विभिन्न किस्मों की भारतीय चाय को बहुत पसंद करते हैं, को लक्ष्य करके विशिष्ट भारतीय चाय प्रदर्शित करने के लिए आयोजित की गई थी। टी मास्टर्स कप के लिए उपयोग की जाने वाली चाय में सीटीसी, ओर्थोडॉक्स और दार्जिलिंग चाय के साथ विभिन्न ग्रेड की अन्य भारतीय चाय शामिल थी। प्रतिभागी होरेका उद्योग से थे, जिन्होंने फलों और मसालों के साथ मूल चाय को मिश्रित करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मकता

24 अगस्त 2018 की सुबह कजाकिस्तान के चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ पहली बैठक हुई जहां ब्रांडेड भारतीय चाय पर आयात शुल्क के युक्तिकरण, उपयुक्त भंडारण और चाय केंद्र होने की संभावनाओं के संबंध में उपयोगी विचार-विमर्श और विचारों का आदान-प्रदान हुआ । इसके बाद अल्माटी के बाहरी इलाके में "यूनिवर्सल टी फैक्ट्री" नामक एक चाय पैकेजिंग फैक्ट्री का दौरा किया गया। शाम को एक प्रमुख मॉल में दो घंटे से अधिक समय के दौरान भारतीय चायों की प्रदर्शनी एवं उपभोक्ताओं के लिए स्फूर्तिदायक आस्वादन सत्र संचालित किया गया। इस प्रयास को एक बड़ी सफलता मिली जिसके परिणामस्वरूप आगंतुकों का निरंतर तांता लगा रहा, लोगों ने विभिन्न प्रकार की चाय के बारे में पूछताछ की, मेहमानों को तर तरह की चाय का स्वाद चखाया गया एवं मजे की बात यह हैं कि इस प्रदर्शनी में लायी गई चाय के क्रय हेतु निरंतर ग्राहकों द्वारा जानकारियाँ एकत्रित की गईं। 8 और 14 वर्ष के बच्चों के समूहों द्वारा भारतीय चाय के बारे में दिखाई गई उत्सुकता और जिज्ञासा पर एक भिन्न अनुभव एवं सुखद आश्चर्य था।

2. 18 से 21 सितंबर, 2018 के दौरान रूस में व्यापार प्रतिनिधिमंडल का दौरा : उद्योग और रूस में भारतीय दूतावास के निकट सहयोग से एक पूर्ण व्यापार प्रतिनिधिमंडल 18 से 21 सितंबर, 2018 के दौरान रूस के संभावित बाजार का दौरा किया था । प्रतिनिधियों की सूची में उद्योग के तेईस (23) सदस्य और भारतीय चाय संघ (ITA) के एक प्रतिनिधि शामिल थे। यह दौरा "वर्ल्ड फूड मॉस्को" प्रदर्शनी के साथ ही हुआ जिसमें टी बोर्ड के पवेलियन में दस (10) भारतीय प्रदर्शकों ने भाग लिया।

18 सितंबर को प्रतिनिधियों ने "वर्ल्ड फूड मॉस्को" व्यापार मेले का दौरा किया एवं क्रेताओं की और बड़ी संख्या में क्रेताओं से बातचीत की। दो सबसे बड़े रूसी चाय आयातकों यथा - ओरिमी ट्रेड एवं मे कोंपन्या के साथ बैठकों सहित विभिन्न व्यावसायिक बैठकों तथा 19 सितंबर, 2018 को क्रेता-विक्रेता के मिलन कार्यक्रम सह संवादमूलक सत्र को सुगम बनाने हेतु इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व टी बोर्ड उपाध्यक्ष के द्वारा किया गया था । पूरे कार्यक्रम को "क्रेता-विक्रेता मिलन (बीएसएम") के साथ -साथ "भारतीय चाय सम्मेलन" में अच्छी भागीदारी के साथ प्रसारित किया गया, रुस्तचेफ़ी एसोसिएशन द्वारा समवर्ती चाय आस्वादन सत्र एवं रूसी सीमा शुल्क, दो रूसी बैंक - स्वेर बैंक एवं अल्फा बैंक, दो सबसे बड़े आयातक - ओरिमी ट्रेड एवं मे टी के साथ बैठकों का कई दौर चला, रूस में भारतीय दूतावास के सहयोग से भारतीय राजदूत एवं प्रतिनिधिमंडल के उप-प्रधान के साथ अनेक बैठकें हुई।

3. 24 से 25 अक्टूबर, 2018 के दौरान बीजिंग में चाय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का दौरा : इस आयोजन के साथ, उपाध्यक्ष, टी बोर्ड एवं कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड सहित 30 चाय निर्यातकों से गठित एक प्रतिनिधिमण्डल ने दौरा किया । चीन के ग्वांगझाऊ के महावाणिज्य दूतावास के सक्रिय समर्थन से 21 अक्टूबर, 2018 को जियामेन, चीन में एक चाय आस्वादन कार्यक्रम के

साथ-साथ भारतीय चाय संवर्धन संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। कॉन्सल (राजनीतिक और वाणिज्यिक),काफ़ी समर्थन मिला एवं उनहोंने क्रेता-विक्रेता सहभागिता और चाय संगोष्ठी की तैयारियों को गति दी । 24 और 25 अक्टूबर को बीजिंग में भारतीय दूतावास के सक्रिय समर्थन से भारतीय चाय संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहले सचिव, (आर्थिक व वाणिज्य/ई एंड सी), बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने इस आयोजन को सार्थक बनाने के लिए विशेष प्रयास किया ।

(सी) अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलाप

1. मॉस्को, रूस में "वार्षिक ग्रीष्मकालीन बाजार" : मास्को में भारत का दूतावास "इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन (आईडबल्यूए)" के सक्रिय सहयोग से हर साल मिशन परिसर में महत्वपूर्ण क्रेता, विदेशी मेहमान और विभिन्न मिशनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए प्रतिष्ठित दर्शकों के मध्य भारतीय खाद्य और पेय पदार्थों का प्रदर्शन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है । 2 जून, 2018 को भारतीय चाय के प्रचार-प्रसार हेतु टी बोर्ड भारत की मुख्य रूप से भागीदारी का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में क्रेताओं ने भाग लिया जहां विभिन्न प्रकार की भारतीय चाय जैसे - दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि के नमूनों का प्रदर्शन किया गया तथा चाय के आस्वादन (टी टेस्टिंग) सत्र आयोजित किए गए। नि:शुल्क चाय के नमूनों के वितरण के साथ-साथ तरल चाय के नमूने का भी प्रदर्शन इस अवसर पर किया गया था । आने वाले दर्शकों की संख्या ने 8000 का रिकॉर्ड आंकड़ा छू लिया । लगातार आने वाले दर्शकों ने टी बोर्ड भारत की भागीदारी की बहुत सराहना की।

2. रूस में चाय संवर्धन : नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एचएसई) और भारत के दूतावास, मास्को ने मुख्य रूप से भारत पर विशेष ध्यान देते हुए आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एचएसई में भारतीय अध्ययन के लिए एक अलग और समर्पित कार्यक्रम शुरू करने के उद्देश्य से 19 मार्च, 2019 को 'इंडिया कॉर्नर' लॉन्च किया। । रूसी संघ में भारत के राजदूत और एचएसई के प्राचार्य ने संयुक्त रूप से विभिन्न रूसी मंत्रालयों, एचएसई, थिंक-टैंकों, अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, सिद्धांतकार, व्यवसायिक-संगठनों और मीडिया-जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में कॉर्नर का उद्घाटन किया। टी बोर्ड इंडिया, मास्को ने 'इंडिया कॉर्नर' के उद्घाटन समारोह में एक चाय संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय काली खुली (लूज) चाय की पांच (5) किस्मों यथा- दार्जिलिंग, सिक्किम, नीलगिरि, असम ऑर्थोडॉक्स और असम सीटीसी को इस कार्यक्रम में परोसा गया। टी बोर्ड भारत के स्टॉल ने चाय के संवर्धन समारोह में आए कई आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित किया साथ ही भारतीय चाय को पूरे रूस से आए हुए व्यापक जनता के सामने प्रदर्शित किया गया ।


ЧАЙНЫЙ СОВЕТ ИНДИИ
TEA BOARD OF INDIA
The Best Indian Tea Award


SEMINAR CUM BUYER SELLER MEET
ON TEA MARKETING



29 जून-2 जुलाई, 2018, तेहरान में ईरान एग्रो 2018 में टी बोर्ड की प्रतिभागिता



27-29 जुलाई, 2018, नई दिल्ली में फुड एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो में टी बोर्ड भारत का पैवेलियन


TEA BOARD INDIA
E72
Nilgiri
Select India Tea
CELEBRATE LIFE WITH
INDIAN TEA AND YOGA
India Tea


Incredible India



अल्माटी, क़ज़ाकिस्तान में 23-25 अगस्त, 2018 को भारतीय चाय प्रतिनिधिमंडल का दौरा क्रेता-विक्रेता बैठक को



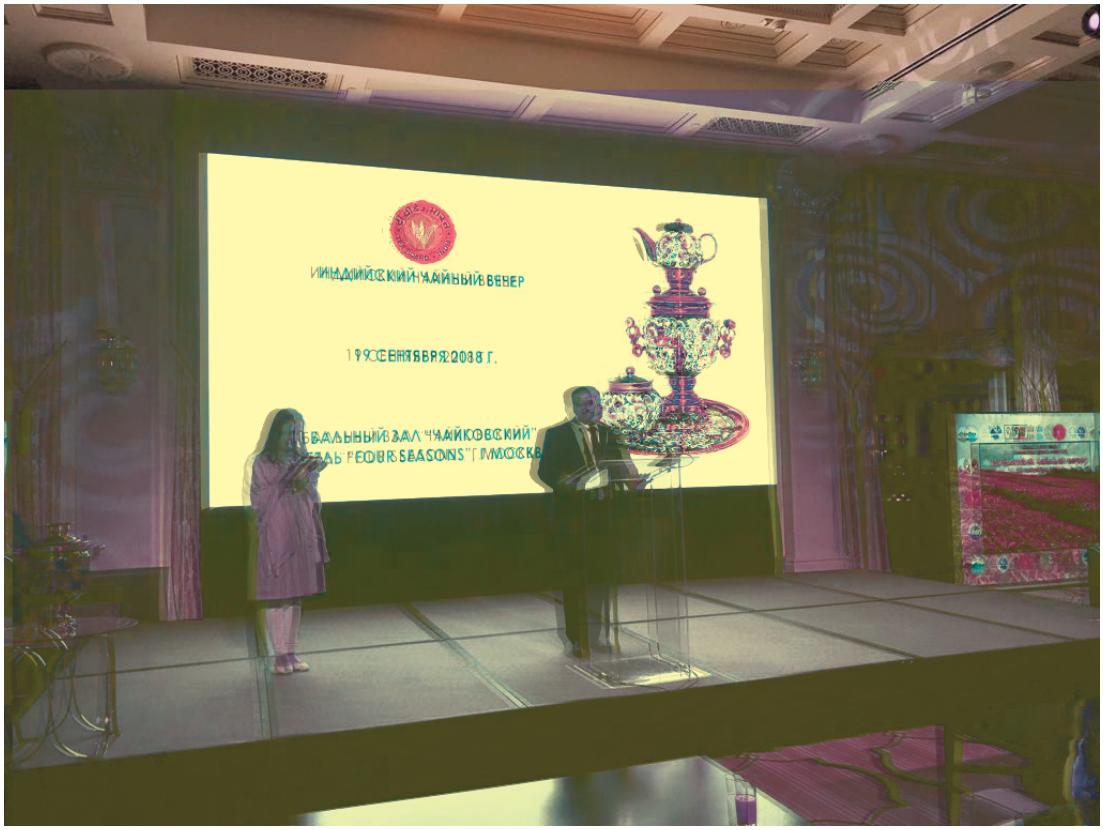
श्री ए. के. राय, उपाध्यक्ष, टी बोर्ड द्वारा 23 अगस्त, 2018 को अल्माटी, क़ज़ाकिस्तान में भारतीय चाय पर प्रस्तुति



23-25 अगस्त, 2018 को चेन्नई में आयोजित फूड एंड हॉस्पिटालिटी फेयर में टी बोर्ड



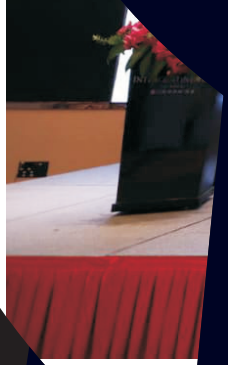
17-20 सितम्बर, 2018 को वर्ल्ड फूड मॉस्को में टी बोर्ड इंडिया का पैवेलियन



19.09.2018, मॉस्को में क्रेता-विक्रेता बैठक को सम्बोधित करते श्री ए.के.राय, उपाध्यक्ष, टी बोर्ड



18-22 अक्टूबर, 2018 को चीन ज़ीयामेन अन्तर्राष्ट्रीय चाय उद्योग मेलेमें इंडिया टी का पैवेलियन



18 को जीयामेन, चीन में आयोजित भारतीय चा





14-15 जनवरी, 2019 को आयोजित इंडस फुड 2019 में टी बोर्ड इंडिया का पवेलियन



गोआ अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में 28.01.2019 को प्रथम भौगोलिक संकेतक स्टोर के उद्घाटन के अवसर पर श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य व उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री



18.02.2019 में गल्फ फुड दुबई में टी बोर्ड भारत के पवेलियन में एच.ई. श्री नवदीपसूरी, युएई में भारतीय दूत



5 से 8 मार्च , 2019 फुडेक्स जापान में भारतीय चाय निर्यातकों के साथ श्री ए.के.राय, उपाध्यक्ष, टी बोर्ड, भारत

जारी अनुज्ञापनों का विवरण :

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु देश में जारी अनुज्ञापनों की संख्या साथ ही संग्रहीत राजस्व की मात्रा तालिकाबद्ध रूप में निम्नवत है :-

क्र. सं.	नियंत्रण आदेश	अनुज्ञापन पंजीकरण की प्रकृति	अनुज्ञापन की संख्या/पंजीकरण/ जारी प्रमाणपत्र	कुल राजस्व संग्रहीत रु. में)
1	चाय विपणन (नियंत्रण) आदेश, 2003	विनिर्माण इकाईयों को अनापत्ति प्रमाणपत्र	45	.....
		विनिर्माण इकाईयों का पंजीकरण	45	14,05,000/-
		क्रेता का पंजीकरण	208	13,19,500/-
		ब्रोकर लाइसेन्स	23	13,56,000/-
		नीलामी आयोजक अनुज्ञापन	7	8,75,000/-
		लघु चाय कारखानों को प्रमाणपत्र	18	18,000/-
2	चाय वितरण (नियंत्रण) आदेश, 2005	निर्यातक अनुज्ञापन	385 (329 नए एवं 56 नवीकरण)	3,85,000 (3,29,000 नए एवं 56,000 नवीकरण)
		वितरक अनुज्ञापन	20	50,000
3	चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959	चाय अपशिष्ट अनुज्ञापन	1257 (255 नए एवं 1002 नवीकरण)	75,600/- (25,500/- नए एवं 50,100/- नवीकरण)
4	चाय भंडार **अनुज्ञापन** आदेश, 1989	चाय भंडार अनुज्ञापन	206 (82 नए एवं 124 नवीकरण)	16,49,800/- (7,97,000/- नए एवं 8,52,800/- नवीकरण)
5	चाय अधिनियम , 1953	रोपण परमिट, विस्तार/ प्रतिस्थापन रोपण परमिट	22	---

6	जीएसआर 694 (ई) दिनांक 11.10.99 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत	फ्लेवर चाय विनिर्माता का पंजीकरण	50	13,71,000/-
7	विदेश व्यापार नीति, भारत सरकार	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)	38 (28 नए एवं 10 नवीकरण)	2,12,800/- (1,56,800/- नए एवं 56,000/-
8	चाय अधिनियम	पंजीकृत संपदाओं के स्वामित्व परिवर्तन की रिकॉर्डिंग	40	14,92,500/-
		पंजीकृत कारखानों के स्वामित्व परिवर्तन की रिकॉर्डिंग	62	59,20,000/-
9	चाय अधिनियम	बागान पंजीकरण	2 सं. सहित 144.92 हे.	---
		कुल	**2428**	**1,61,30,200/-**

विनियामक प्रावधानों का संशोधन

विद्यमान मानकों के सरलीकरण, राजस्व अर्जन इत्यादि को सुनिश्चित करने हेतु 2018-19 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधन किए गए :

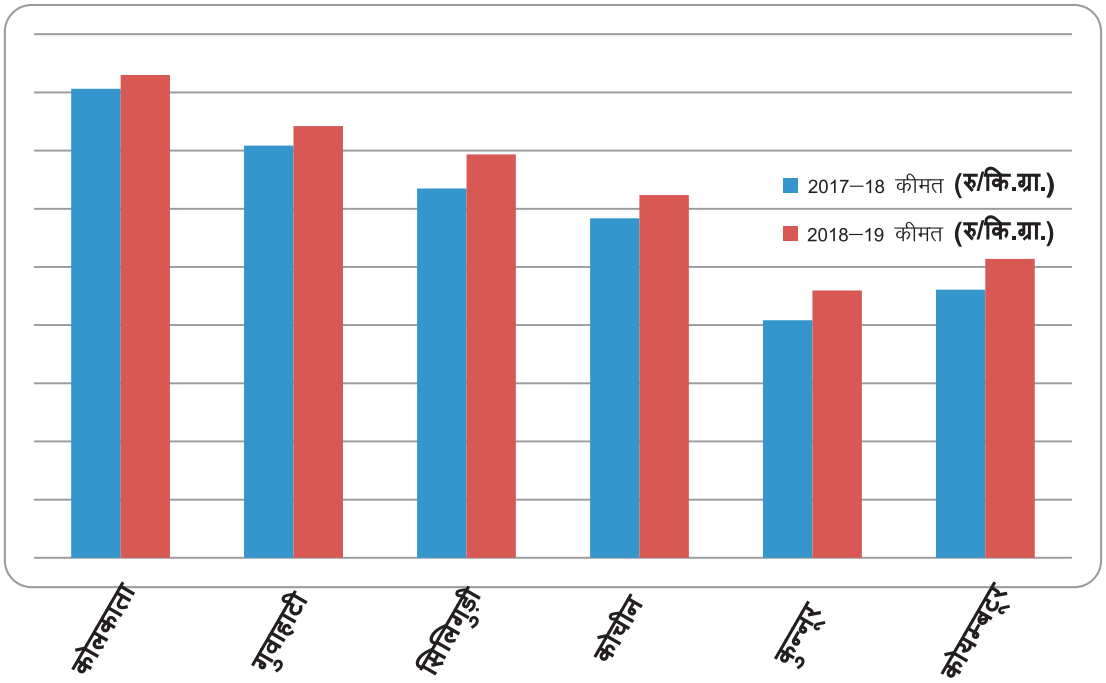
- चाय भंडार अनुज्ञापन) आदेश , 1989 के तहत चाय भंडार अनुज्ञापन की नवीनीकरण अवधि में 1 से 3 वर्ष की वृद्धि ।

  विनिर्माताओं को जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को बंद किया गया एवं इस प्रक्रिया को एक कर दिया गया,केवल पंजीकरण प्रमाणपत्र ही विनिर्माताओं को उत्पादन के साथ ही इकाईयों की व्यवहार्यता के बाद व्यवसायिक विनिर्माण हेतु जारी किया जाएगा ।

ई - नीलामी स्थिति:-

I. **अखिल भारतीय मॉड्यूल के तहत ई-नीलामी** :

II. चाय नीलामी प्रतियोगितात्मक रूप से वृहत स्तर के क्रेताओं तक अपने उत्पाद के विपणन का एक जरिया है, ताकि सही मूल्य प्राप्त किया जा सके। सार्वजनिक चाय नीलामी ने कोलकाता में 1861 में प्रथम चाय नीलामी केंद्र के रूप में स्थापित होने के पश्चात् एक दशक से चाय के



ii. पोस्ट सेटलमेंट मॉड्यूल का कार्यान्वयन:

पोस्ट नीलामी सेटेलमेंट मॉड्यूल का कार्यान्वयन फरवरी से मार्च, 2018 में 3 नीलामी केन्द्रों में किया गया था । परन्तु, कोलकाता, गुवाहाटी एवं कोचीन नीलामी केन्द्रों में इसका कार्यान्वयन अप्रैल, 2018 में किया गया । ई-नीलामी के माध्यम से हितधारकों को पोस्ट सेटलमेंट का फायदा दिलाने हेतु बोर्ड ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी भी की । इस प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण फायदे नीचे दर्शाए गए हैं :

- क्रेताओं से भुगतान प्राप्त होने के एक दिन के भीतर विक्रेताओं, ब्रोकरों और गोदामों के भुगतान का तुरंत निपटान .
- क्रेताओं द्वारा चालान एवं सुपुर्दगी आदेश का ऑनलाइन रसीद, जिससे इस पूरे प्रक्रिया में समय की बचत होती है ।
- भुगतान के वास्तविक दिन निर्दिष्ट समय पर आरटीजीएस / एनईएफटी पर कम निर्भरता के साथ क्रेता हेतु उपयोगकर्ता के अनुकूल भुगतान प्रणाली की शुरुआत ।
- हितधारकों द्वारा एमआईएस एवं बैंक खाता विवरण का ऑनलाइन माध्यम से प्राप्ति ।

इस प्रणाली को इस प्रकार आरंभ किया गया है कि नीलामी के बाद के सेटलमेंट प्रक्रिया को नीलामी प्रक्रिया के साथ एकीकृत कर शुरू से अंत तक पूरी तरह से ऑनलाइन बना दिया गया है । बोर्ड ने नीलामी प्रक्रिया को वास्तविक रूप में आरंभ करने से पहले अनेकों प्रदर्शनमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं हैंडहोल्डिंग सत्र आयोजित किए गए थे ।

पोस्ट सेटलमेंट प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के पश्चात टी बोर्ड द्वारा प्रत्येक हिस्सेदारों विक्रेता , ब्रोकर एवं क्रेता) से लेन - देन शुल्क के रूप में रु.0.02/- प्रति किग्रा. वसूली का भी प्रावधान किया गया था जिससे

नीलामी प्रक्रिया स्वचालनीय (self sustainable) बन सके । 31 मार्च 2019 तक टी बोर्ड द्वारा चाय बिक्री के पश्चात् के लेन-देन से (जीएसटी सहित) 4.15 करोड़ रु. अर्जित किया गया था ।

नवीन पहल:

1. नीलामी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए टी बोर्ड ने मूल्य तंत्र को सुधारने के लिए जरूरी नीलामी सुधार पर अध्ययन के आयोजक हेतु आईआईएम बंगलुरु को चुना है।

2. बोर्ड ने जोरहाट के लिए अलग इलेक्ट्रानिक नीलामी मंच की स्थापना का प्रस्ताव रखा है ताकि असम चाय समूह (क्लस्टर) की जरूरतों को पूरा किया जा सके जिनका देश के सम्पूर्ण चाय उत्पादन में करीब आधा योगदान है । इस दिशा में बोर्ड ने आर एफ पी मगंाई है ताकि एक ऐसे ई-मचं का चुनाव किया जा सके जिससे डिजाईनिंग, विकास तथा रख-रखाव एकीकृत रूप में हो सके , साथ ही जिसमे मूल्य बर्द्धक सेवाएं जैसे - केन्द्रीय वेयरहाउसिंग, क्रेताओं को लॉजिस्टिक आदि भी हों ।

3. नीलामी प्रणाली के अवसंरचना की दिशा में बोर्ड ने सम्पूर्ण सेवाओं को क्लाउड एनवायरनमेंट की अत्याधुनिक तकनीक की ओर पहल की है जिसके लिए परिवीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में आरएफपी को मंगाया गया है।

अध्याय -8

सांख्यिकी

प्रस्तावना:

चाय बोर्ड की सांख्यिकी शाखा के प्राथमिक कार्यों में चाय उद्योग के सभी पहलुओं एवं कृषि, उत्पादन,उत्पादकता, देश में उत्पादित विभिन्न प्रकार की चाय, प्राथमिक बाजार मूल्य,निर्यात,चाय निर्यात गंतव्य स्थान एवं चाय रोपण आदि में संलग्न कामगारों के अंतर्गत व्यापारिक क्षेत्रों से संबन्धित सांख्यिकीक आकड़ों को एकत्रित करना ,उनका मिलान करना तथा प्रसार करना शामिल है। ऐसी सूचनाएं बोर्ड, भारत सरकार एवं उद्योग के नीति निर्णय प्रक्रिया में आवश्यक इनपुट उपलब्ध करवाती हैं।

सांख्यिकीय सूचना का प्रसार

साप्ताहिक नीलामी मूल्य, मासिक उत्पादन एवं निर्यात संबंधी सूचनाओं को बोर्ड के वेबसाइट www.teaboard.gov.in. पर व्यवसाय, उद्योग, अनुसंधान विज्ञान आदि के लिए अपलोड किया जाता है ।

चाय मूल्यों का अनुवीक्षण:

सांख्यिकीय शाखा क्रमश: रोपण फसलों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पीआई) एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से संबंधित वाणिज्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को नीलामी मूल्य की अपेक्षित सूचनाओं का अनुवीक्षण उपलब्ध कराता है । विभिन्न शहरों/नगरों में चाय के खुदरा मूल्य का अनुवीक्षण भी सांख्यिकी शाखा द्वारा किया जाता है ।

कर एवं शुल्क

उत्पाद शुल्क: इंस्टैंट चाय पर 10 प्रतिशत यथा मूल्य जो शीर्ष 2101.20 के तहत आता है ।

निर्यात शुल्क : शून्य

आयात शुल्क: निर्यातोन्मुख इकाई (इओयू) एवं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (सेज़) इकाईयों द्वारा पुन: निर्यात के प्रयोजन हेतु आयातित चायों पर आयात शूल्क शून्य है । यद्दपि, घरेलू बाजार हेतु आयातित चायों पर प्राथमिक आयात शुल्क का 100 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अधिभार तथा प्राथमिक शुल्क एवं अधिभार पर 4 प्रतिशत का विशेष अतिरिक्त शुल्क को आकर्षित करेगा (1 मार्च 2002 से) । प्रति कैलेण्डर वर्ष में श्रीलंका से 15 मि.कि.ग्रा. तक आयातित चाय पर प्राथमिक शुल्क का 7.5 प्रतिशत की रियायत के अलावा अन्य सामान्य अधिकार लागू रहेगा ।

उत्पाद एवं सेवा कर : चाय पर वर्तमान जीएसटी दर 5% है अर्थात् 2.5% सीजीएसटी+2.5%एसजीएसटी । अर्न्तप्रदेशीय पूर्ति के क्षेत्र में, चाय पर आईजीएसटी की दर 5% है ।

वर्ष 2018-19 के दौरान चाय उद्योग व व्यापार की स्थिति

उत्पादनः

उत्तर एवं दक्षिण भारत के मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्रों में बेहतरीन जलवायु परिस्थिति के कारण भारत ने वर्ष 2018-19 में अब तक का सर्वोच्च चाय उत्पादन 1350.04 मि.कि.ग्रा. प्राप्त किया जो 2017-18 की तुलना में 24.99 मि.कि.ग्रा. अधिक है ।

मुख्य चाय उत्पदाक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं केरल ने कुल चाय उत्पादन में 97.51% का योगदान दिया जबकि शेष अंश का योगदान अन्य राज्यों ने किया । कुल चाय उत्पादन में से सीटीसी का योगदान 90% रहता है जबकि आर्थोडॉक्स व ग्रीन टी का 10% अंश रहता है ।

संगठित क्षेत्रः

1569 चाय संपदाएं है । इन क्षेत्रों में 923 विपणन इकाई स्थापित है । 2018-19 के दौरान उत्पदान के संगठित क्षेत्र का अंश 51.59% देखा गया ।

लघु चाय उत्पादकः

लघु चाय उत्पादकों का कुल चाय उत्पादन वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है । वर्ष 2018-19 के दौरान लघु उत्पादकों के उत्पादन का अंश 48.41% देखा गया ।

निर्यातः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान **भारत ने चाय निर्यात की धारा बरकरार रखी** । 2017-18 की तुलना में 2018-19 में उच्च मूल्य इकाई वसूली के कारण 441.96 करोड़ की उच्च मूल्य वसूली सहित 2.07 मि.कि.ग्रा. कम थी । वर्ष 2018-19 में **निर्यात में सर्वोच्च मूल्य वसूली में रिकॉर्ड वर्ष रहा** है ।

भारत से चाय का निर्यात

वर्ष	मात्रा (मि.कि.ग्रा.).	मूल्य (रु. करोड़ में)	इकाई मूल्य (रु./कि.ग्रा.)	थोक चाय		मूल्यवर्धक चाय	
				मात्रा (मि.कि.ग्रा.).	मूल्य (रु. करोड़ में)	मात्रा (मि.कि.ग्रा.).	मूल्य (रु. करोड़ में)
2017-18	256.57	5064.88	197.41	225.13	3955.10	31.44	1109.78
2018-19	254.50	5506.84	216.38	225.29	4321.61	29.21	1185.23

यह ध्यान दिया गया कि 2018-19 के दौरान कुल उत्पादन का करीब 11.48% मूल्यवर्द्धन रुप में निर्यात किया गया(पैकेट चाय, टी बैग एवं इंस्टैंट टी) जबकि बाकी थोक रुप में ही निर्यात किया गया ।



अध्याय-9

मानव संसाधन विकास

I. परिचय:

कामगारों और उनके आश्रितों के लिए बेहतर काम करने की स्थिति बनाने तथा सुविधाओं और प्रोत्साहन राशि में सुधार लाने के लिए कल्याणकारी उपायों को सहायता प्रदान करना चाय अधिनियम,1953 में यथा अनिवार्य चाय बोर्ड के अनन्य उद्देश्यों में से एक है । चूंकि,रोपण कामगारों का विनियामक एवं कल्याण रोपण श्रम अधिनियम के दायरे में आता है और वह राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, बोर्ड द्वारा की जा रही कल्याणकारी क्रियाकलापें अनुपूरक हैं और वे सामान्य कल्याणकारी उपायों को कवर करती हैं । बोर्ड के सम्पूर्ण XII वीं प्लान चाय विकास एवं संवर्धन योजना के मानव संसाधन विकास के अंतर्गत श्रमिक कल्याणकारी उपाय किए गए थे । बोर्ड की कल्याणकारी योजनाएँ लिंग निरपेक्ष हैं ।

II. श्रमिक कल्याण समिति:

बोर्ड की श्रमिक कल्याण समिति एक सलाहकारिता निकाय के रूप में मार्गदर्शन करती है। बोर्ड की यह समिति विभिन्न श्रमिक कल्याण क्रियाकलापों के कार्यान्वयन में चाय बोर्ड की सहायता करती है। इस समिति में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित सदस्य है :

1. उपाध्यक्ष चाय बोर्ड, समिति का पदेन अध्यक्ष
2. श्री तपन सेन, माननीय सांसद, सदस्य
3. श्री एम.पी.भार्गवन नायर सदस्य
4. श्री दिनेस्वर ताशा, सदस्य
5. श्री सुनील किरवई, सदस्य
6. श्री रमेश, सदस्य
7. श्रीमती मून स्वर्णकार,सदस्य
8. श्री बी. कुमारन, सदस्य
9. श्री अश्विन शेट्टी सदस्य

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्रमिक कल्याण समिति की बैठक निम्नलिखित तारीखों को हुई :

बैठक की संख्या	बैठक की तारीख	स्थान
236वीं	26 जून,2018	काजीरंगा, असम
237वीं	26 सितंबर, 2018	कोलकाता

भारत में चाय का आयात

वर्ष 2018-19 के दौरान, सीआईएफ मूल्य 341.61 करोड़ रु. सहित 24.22 मि.कि.ग्रा. 2017-18 की तुलना में सीआईएफ मूल्य 288.56 करोड़ सहित 20.59 मि.कि.ग्रा. रहा ।

नीलामी में चाय मूल्य

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान देश में कुल चाय उत्पादन का 44.16% जन नीलामी द्वारा तथा बाकी अंश अन्य माध्यम द्वारा बेचा गया ।

विगत वर्ष की तुलना में उत्तर भारत में औसत मूल्य वृद्धि 7.30 रु. प्रति कि.ग्रा. 5.05 %) रही जबकि दक्षिण भारत में 9.21 रु. प्रति कि.ग्रा. 9.8 %) की बढ़ोतरी हुई । 2017-18 की तुलना में समग्र मूल्य में 7.60 रु. प्रति कि.ग्रा. 5.73 %) की बढ़ोतरी हुई ।

वर्ष	उत्तर भारत		दक्षिण भारत		अखिल भारत	
	मात्रा (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (रु./कि.ग्रा.)	मात्रा (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (रु./कि.ग्रा.)	मात्रा (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (रु./कि.ग्रा.)
2016-17	432.90	141.37	124.13	106.12	557.03	133.51
2017-18	453.85	144.57	139.59	93.94	593.44	132.66
2018-19	454.16	151.87	141.99	103.15	596.15	140.26

घरेलू प्रतिधारण

चाय की अनुमानित घरेलू प्रतिधारण 2017-18 में 1089 मि.कि.ग्रा. की तुलना में 2018-19 में करीब 1120 मि.कि.ग्रा. रही ।



(ब) कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा:

i. **चाय बागान के कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा: कामगारों के बच्चों के लिए भत्ते के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई ।**

अनुदान की मात्रा: ट्यूशन फ़ीस पर वास्तविक आधार पर , अधिकतम सीमा 20,000 रुपये तक और हॉस्टल चार्ज पर हॉस्टल चार्ज का दो- तिहाई (2/3) ,अधिकतम सीमा 20,000 रुपये तक ।

ii. **कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा "नेहरू पुरस्कार" विशेष योजना :**

चाय बोर्ड ने बागान के कामगारों के होनहार बच्चों के लिए "नेहरू पुरस्कार" नाम से एक विशेष योजना का कार्यान्वयन किया ।

अनुदान की मात्रा: इस योजना के तहत बागान के कामगारों के बच्चों के लिए Xवीं के लिए 4000/-रु० का तथा XIIवीं के लिए 5000/-रु० का अनुदान राशि प्रदान की गई ।

iii. **चाय बागान के जरूरतमन्द और योग्य बच्चों को अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बच्चों को पुस्तक और स्कूल यूनीफॉर्म अनुदान योजना :**

बंद चाय बागानों के जरूरतमंद विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पुस्तक और यूनीफॉर्म खरीदने के लिए सहायता प्रदान की गई ।

अनुदान की मात्रा: 3000/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ।

iv. **XI वीं योजना ने पूंजीगत अनुदान के तहत विद्यालय/ महाविद्यालय/ हॉस्टल बिल्डिंग के निर्माण के मामलों को प्रतिबद्ध किया।**

XIवीं योजना मामलों के प्रतिबद्ध और अवशिष्ट भुगतान के लिए प्रावधान था।

V. **भारत स्काउट्स और गाइड्स हेतु वित्तीय सहायता:** भारत स्काउट्स और गाइड्स के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत बोर्ड की तरफ से दी जाने वाली अनुदान राशि जिला स्काउट्स/गाइड संस्थापकों के पदों के रखरखाव के लिए वेतन और भत्तों के भुगतान, प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रभारों की प्रतिपूर्ति, रैलियां कराने के भुगतान रैलि व कैंप, जम्बूरिस तथा चाय बागान स्काउट्स /गाइड्स इत्यादि को वर्दी खरीदने पर खर्च होता है ।

अनुदान की मात्रा : (अ) पूर्ण कालिक जिला स्काउट्स/गाइड्स संस्थापकों के लिए मासिक वेतन 5000/- रु० थी तथा 1500 रु. प्रति माह की दर से यात्रा भत्ता तय किया गया था ।

प्रशिक्षण शिविर: अल्पाहार और टिफ़िन के लिए प्रति व्यक्ति 100 रु० प्रति दिन तथा प्रति प्रशिक्षार्थी को प्रति प्रशिक्षण के लिए आकस्मिक प्रभार के रूप में 100 रु० ।

व्यक्ति

(ग)



वर्ष 2018-19 के दौरान वहुए व्यय का विवरण नीचे सारणी-1 में प्रस्तुत है

घटक - मानव संसाधन विकास

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार वित्तीय संवितरण एवं भौतिक उपलब्धियां

		स्वास्थ्य			शिक्षा					प्रशिक्षण			
राज्य	क्रियाकलाप	चिकित्सा उपकरण का क्रय	सहायता उपकरण के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता व्यक्तियों की (संख्या)	कैंसर /दिन के मरीजों के लिए वित्तीय सहायता (संख्या)	भत्ता (संख्या)	नेहरू पुरस्कार (संख्या)	प्रकृतिक आपदा / बंद चाय बागानों से प्रभावित लोगों को पुस्तक और स्कूल यूनिफॉर्म अनुदान	भारत स्काउट्स एंड गाइड्-प्रशिक्षण शिविर / रैलियाँ, जंबूरीस/ मुक़ाबला (शिविर की संख्या और विद्यार्थी हितधारकों की (संख्या)	व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या तथा विद्यार्थी हितधारकों की (संख्या)	XI योजना पूंजी अनुदान-स्कूल / कॉलेज की (संख्या)	अन्य बैंक प्रभार सहित)	**कुल**
असम	राशि लाख (₹)				66.63	2.4		1.56	4.2				**74.79**
	भौतिक				953	50		1	1 40				
त्रिपुरा	राशि लाख (₹)				0.68	0.05							**0.73**
	भौतिक				5	1							
पश्चिम बंगाल	राशि लाख (₹)			3.13	69.02	0.31	6.16	5.83				2.2	**86.65**
	भौतिक			3	764	6	165	02 165				2	
तमिलनाडु	राशि लाख (₹)			0.5	16.87	3.09		3.6					**24.06**
	भौतिक			1	69	70		5 1770					
केरल	राशि लाख (₹)				40.23		8.16					6.65	**55.04**
	भौतिक				158		204					1	
कर्नाटक	राशि लाख (₹)				1.67								**1.67**
	भौतिक				9								
हिमाचल प्रदेश	राशि लाख (₹)				0.98	0.26							**1.24**
	भौतिक				7	6							
उत्तराखंड	राशि लाख (₹)				0.52	0.39							**0.91**
	भौतिक				4	9							
अखिल भारत	राशि लाख (₹)	0	0	3.63	196.6	6.5	14.32	10.99	4.2	0	8.85	245.09	
	भौतिक	0	0	4	**1,969**	142	369	8 **1935**	1 40	0	3		

अध्या

हिन्दी

प्रस्तावना

26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू ह
राजभाषा बनी । भारत सरकार को यह दायित्व दि
इस प्रकार करें कि वह भारत की सामासिक संस्कृ
।हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु निरंतर प्रयास
कक्ष राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा नियम
कार्यान्वयन के कार्य का दायित्व निभा रहा है ।
संबंधी कार्यों का निष्पादन बोर्ड के उपनिदेश क

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का

समीक्षाधीन वर्ष 2018-2019 के दौरा
सरकार की मुख्य नियामक अधिनियम
हिन्दी एवं अंग्रेजी में एक साथ जा

हिन्दी पुस्तकों का क्रय

राजभाष
उपलब्ध

हिन्दी में रिपोर्ट

संसद में रखे जानेवाले सभी प्रतिवेदन जैसे वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आदि हिन्दी में भी तैयार किए गए । इसके अलावा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं वार्षिक रिपोर्ट भी हिन्दी में तैयार किए गए । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को इनका नियमित रूप से प्रेषण किया गया ।

हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समय समय पर राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित हुई, जिसमें सहायक/वरिष्ठ सहायक/सह प्रशासनिक अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को भी हिन्दी कार्य करने की शैली में प्रशिक्षित किया गया । विभिन्न सरकारी कार्यालयों से आगत प्रवक्ताओं ने सत्र संचालित किए। इसके फलस्वरूप कार्मिकों में व्यवहारिक/प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रति अभिरूचि पैदा हुई ।

हिन्दी सप्ताह का आयोजन

राजभाषा के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा कामकाज में इसे बढ़ावा देने हेतु हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया । इस दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । क्षेत्रीय कार्यालयों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए ।

हिन्दी वेबसाईट

ई-गवर्नेंस के इस युग में नीति कार्यान्वय की दिशा में इंटरनेट एक शक्तिशाली माध्यम बन गई है टी बोर्ड की भी हिंदी में अपनी वेबसाइट www.teaboard.gov.in है, क्योंकि आज भी हिन्दी अधिकांश भारतीय जनता की भाषा है । टी बोर्ड के हिंदी वेबसाईट को अंग्रेजी संस्करण से मेल रखते हेतु तथा हिंदी संस्करण को समय-समय पर अद्यतन किये जाने के संबंध गहन प्रयास किए गए, जो एक सतत प्रक्रिया है ।

टॉलिक की गतिविधियों में सहभागिता

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढावा देने से संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता (नराकास) की गतिविधियों में बोर्ड सक्रिय रूप से भाग लिया ।

बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें :

बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ऑलिक) की वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में बैठके आयोजित हुई तथा बहुत ही उपयोगी निर्णय लिए गए ।

कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी प्रयोग हेतु प्रोत्साहन योजना

बोर्ड ने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रोत्साहन योजना को प्रचारित किया जिसका उद्देश्य हिन्दी की कामकाज में गति लाना था । अधिकारी एवं कर्मचारियों ने इसका लाभ लिया । कुछेक कर्मचारियों ने इस योजना में हिस्सा लिया एवं उन्हें पुरस्कृत किया गया ।

संघ की राजभाषा में कार्य करने हेतु वार्षिक कार्यक्रम

वर्ष 1967 में संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह निर्देश दिया गया था कि भारत सरकार एवं अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार कर कार्यान्वित करेगी जिससे हिन्दी के प्रसार एवं विकास को गति मिले । वर्ष 2018-19 का कार्यक्रम इसी क्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है । इस वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से हम संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की गति तेज की गयी । निर्धारित लक्ष्यों की कुछ हद तक प्राप्ति भी हुई है । फिर भी टी बोर्ड में बहुत हद तक कार्य अंग्रेजी में ही होता रहा ।

अध्याय -12

विधि प्रकोष्ठ एवं सूचना का अधिकार

चाय बोर्ड का विधि प्रकोष्ठ, विधि अधिकारी के अधीन कार्य करता है । चाय बोर्ड का विधि प्रकोष्ठ बोर्ड के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा अग्रेषित सभी विधिक मामलों का पर्यवेक्षण करता है । प्रकोष्ठ बोर्ड के नामिकागत सॉलिसिटर/विधि फॉर्म, विधिक सलाहकारों एवं केंद्रीय सरकार परिषदों के साथ बोर्ड की ओर से सम्पर्क स्थापित करता है । दिनांक 31.03.2018 तक 86 मामले लंबित थे । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 11 नए मामले आए एवं 05 मामले वापस कर लिए गए । दिनांक 31.03.2019 तक कुल मामलों की संख्या 92 थी ।

आईपीआर प्रकोष्ठ बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी सभी मामलों की भी देखभाल करता है, कानूनों के अधीन इसमें बोर्ड द्वारा पंजीकृत भारत एवं विदेश में विभिन्न लोगो चिह्न/शब्द चिह्न शामिल हैं । रिपोर्टाधीन वर्ष में इस प्रकोष्ठ ने निर्यात से पूर्व दार्जिलिंग चाय की शुद्धता को प्रमाणीकृत करते हुए 1841 सं. उत्पत्ति प्रमाणपत्र सीओओ) जारी किए हैं । इसके अतिरिक्त, प्रकोष्ठ ने दार्जिलिंग के चिह्न, असम ऑर्थोडॉक्स, नीलगिरि ऑर्थोडॉक्स, असम लोगो, नीलगिरि लोगो, इंडिया टी बोर्ड लोगो एवं डुआर्स-तराई लोगो के प्रयोग के लिए 185 अनुमतियों का नवीकरण किया है एवं 70 जारी किए है तथा इस तरह आईईबीआर के अंश के रुप में 21.387,40.20/- रु. एकत्रित किए हैं।

आरटीआई प्रकोष्ठ, नियत समय के भीतर सूचना का अधिकार 2005 के तहत आवेदनों के निपटान व अपील करने के लिए उत्तरदायी है साथ ही मंत्रालय को मासिक एवं वार्षिक विवरण भेजने के लिए भी उत्तरदायी है। तीन मनोनीत जन सूचना अधिकारियों में से एक, विधि अधिकारी केन्द्रक अधिकारी है । रिपोर्टाधीन वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 72 आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं 03 अपील निपटा दिए गए हैं ।